स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 341 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 16 से 31 जुलाई 2016 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

रे.बो. को जीएम पोस्टिंग की नहीं है कोई परवाह

सुरेश त्रिपाठी

रेलमंत्री के मैनेज्ड प्रचार तंत्र की बदौलत भारतीय रेल की चौतरफा कुछ इस तरह वाहवाही हो रही है, जैसे कि भारतीय रेल पिछले दो सालों में ही हवा में उड़ने लगी है और चौतरफा सिर्फ विकास और विकास की फसल लहलहाने लगी है, जबकि रेलवे की व्यवस्था और कामकाज में न तो कोई बुनियादी सुधार आ

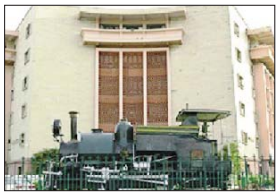

पाया है, और न ही कोई ढांचागत विकास हुआ है, सभी आंकड़े और प्रचार ऊसर भूमि पर आधारित हैं. इस तरह की मैनेज्ड और हवा-हवाई व्यवस्था इससे पहले भारतीय रेल में कभी नहीं रही. इसी मैनेज्ड प्रचार तंत्र की बदौलत भारतीय रेल को प्रथम तीन संस्थानों में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है, जिससे अब केंद्र सरकार की तरफ से इसे 25 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि भारतीय रेल में 30 जून से पहले 6 जोनल महाप्रबंधकों के पद रिक्त थे. इनमें जनवरी से खाली पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की एक पोस्ट पर ८ जुलाई को शेष पेज 7 पर...

रेलवे बोर्ड द्वारा डीओपीटी को भेजा गया वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित जीएम पैनल. इस प्रस्तावित जीएम पैनल में कुल 44 वरिष्ठ रेल अधिकारियों का नाम समाहित किया गया है.

Sr. No.	Name of officer *Compiled By 'Paripurna Railway Samachar'	Cadre	Date of Birth	DITS	Date of Superannuation
1.	Ashwani Lohani	IRSME	22.12.1958	18.02.1980	31.12.2018
2.	M. K. Gupta	IRSE	11.10.1958	16.01.1981	31.10.2018
3.	O. P. Agrawal	IRSE	15.08.1958	17.01.1981	31.08.2018
4.	D. K. Gayan	IRSME	08.06.1958	24.01.1981	30.06.2018
5.	Ghanshyam Singh	IRSEE	01.06.1959	27.01.1981	31.05.2019
6.	M. C. Chauhan	IRSEE	20.07.1958	27.01.1981	31.07.2018
7.	Akhil Agrawal	IRSSE	23.06.1958	06.02.1981	30.06.2018
8.	A. K. Gupta	IRSME	28.09.1958	07.04.1981	30.09.2018
9.	Shudhanshu Mani	IRSME	11.12.1958	09.04.1981	31.12.2018
10.	Umesh Singh	IRSS	13.11.1958	21.04.1981	30.11.2018
11.	Girish Pillai	IRTS	22.06.1959	04.01.1982	30.06.2019
12.	Rakesh Aron	IRSS	25.11.1959	24.02.1982	30.11.2019
13.	Alok Ranjan	IRSE	26.06.1958	25.02.1982	30.06.2018
14.	S. P. Trivedi	IRSSE	10.04.1959	27.02.1982	30.04.2019
15.	V. K. Agrawal	IRSEE	20.04.1958	01.03.1982	30.04.2018
16.	Ved Pal	IRSEE	01.10.1958	27.02.1982	31.10.2018
17.	Ajit Pandit	IRSE	07.09.1958	01.03.1982	30.09.2018
18.	S. N. Agrawal	IRSE	04.07.1959	11.02.1982	31.07.2019
19.	D. K. Sharma	IRSEE	14.05.1959	06.03.1982	31.05.2019
20.	V. P. Pathak	IRSS	07.07.1959	23.03.1982	31.07.2019
21.	V. K. Jain	IRSS	14.06.1958	22.03.1982	30.06.2018
22.	Roshan Lal Pawar	IRSS	09.11.1958	22.02.1982	30.11.2018
23.	V. K. Yadav	IRSEE	01.01.1960	22.02.1982	31.12.2020
24.	R. K. Kulshreshtha	IRSEE	19.03.1959	11.03.1982	31.03.2019
25.	Sachchidanand Singh	IRSE	02.01.1959	30.03.1982	31.01.2019
26.	Ashok Gupta	IRSE	19.06.1958	24.02.1982	30.06.2018
27.	S. S. Swoin	IRSEE	20.04.1959	02.04.1982	30.04.2019
28.	Lokesh Narayan	IRSEE	13.12.1958	19.02.1982	31.12.2018
29.	Anil K. Gupta	IRSEE	05.11.1959	15.06.1982	30.11.2019
30.	Harinder Rao	IRSEE	01.05.1959	15.06.1982	31.05.2019
31.	Rajiv Agrawal	IRSEE	01.03.1960	04.02.1982	28.02.2020
32.	Ratan Lal	IRSEE	05.07.1959	10.02.1982	31.07.2019
33.	Ajay Vijayavergiya	IRSSE	22.09.1959	12.08.1982	30.09.2019
34.	O. P. Verma	IRSSE	05.09.1958	27.01.1982	30.09.2018
35.	Rajendra Jain	IRSSE	08.08.1959	15.07.1982	31.08.2019
36.	L. P. Sinha	IRSSE	01.08.1958	27.03.1982	31.07.2018
37.	P. K. Mishra	IRSE	17.03.1960	01.09.1982	31.03.2020
38.	B. K. Dixit	IRSE	02.09.1958	10.02.1982	30.09.2018
39.	Jagdip Rai	IRSE	25.11.1958	23.02.1982	30.11.2018
40.	S. L. Verma	IRSE	13.02.1959	20.04.1982	28.02.2019
41.	Raman Lal Gupta	IRSME	01.10.1958	30.10.1982	30.09.2018
42.	G. C. Budhlakoti	IRSME	05.06.1958	19.02.1982	30.06.2018
43.	Rajesh Agrawal	IRSME	16.01.1960	28.03.1982	31.01.2020
44.	T. P. Singh	IRSME	21.01.1960	28.03.1982	31.01.2020

डॉक्टरों के घरों पर सीबीआई के छापे, 1.60 करोड़ नकद बरामद

- पांचों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज
- मेडिकल विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है डॉक्टरों का पीरियोडिकल ट्रांसफर न होना
- बड़े अधिकारियों और यूनियन पदाधिकारियों के साथ साठ-गांठ के चलते नहीं होते हैं डॉक्टर्स के तबादले

लखनऊ : मंडल रेलवे अस्पताल, उत्तर रेलवे, चारबाग, लखनऊ के पूर्व सीएमएस डॉ. यू. बंसल, पूर्व एसीएमएस एवं स्टोर्स इंचार्ज डॉ. राकेश गुप्ता, पूर्व सीनियर डीएमओ सुनीता गुप्ता, पूर्व फार्मासिस्ट एस. एस. मिश्रा और अटेंडेंट ताराचंद सहित तीन निजी मेडिसिन सप्लायर्स के घरों और दफ्तरों में 12 जुलाई को सीबीआई ने छापेमारी की है. यह छापेमारी लखनऊ में 13 स्थानों और दो स्थानों पर आरसीएफ, रायबरेली सहित कुछ अन्य जगहों पर की गई है. इसमें शेष पेज 5 पर...

रेलमंत्री से मतभेद के चलते संजय मुखर्जी ने लिया वीआरएस

नई दिल्ली : फाइनेंस कमिश्नर/रेलवेज संजय मुखर्जी स्वैच्छा सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने जा रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने इसके लिए 24 जून को ही अपना आवेदन रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है और अगले महीने अगस्त में वह अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले रेलवे को छोड़कर चले जाएंगे. उनका वास्तविक रिटायरमेंट 30 नवंबर 2016 को होना था. शायद यह पहला अवसर है जब 'सेक्रेटरी, भारत सरकार' के स्तर का कोई वरिष्ठ अधिकारी रेलवे से वीआरएस लेकर जा रहा है. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि रेलवे के वर्तमान निज़ाम से मतभेद के कारण श्री मुखर्जी वीआरएस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें फर्जी आंकड़ेबाजी पर आधारित रेल बजट और घटती आमदनी के बावजूद अनावश्यक रूप से रेलवे को कर्ज में डुबाया जाना रास नहीं आ रहा है.

उल्लेखनीय है कि श्री मुखर्जी को एक निहायत ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित रेल अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है. उनके जानकारों का कहना है कि श्री मुखर्जी ने अपनी पूरी सर्विस में आज तक कभी कोई जोड़तोड़ नहीं की है. उनके खिलाफ आज तक कभी कोई विजिलेंस केस भी नहीं बना है. नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे (नायर), वड़ोदरा के लोग तथा तिनसुकिया मंडल, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम के रूप में आज भी वहां के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें न सिर्फ शिद्दत से याद करते हैं, बल्कि उनका बहुत सम्मान भी करते हैं. यही वजह थी कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दौरे पर गए श्री मुखर्जी ने विपरीत मौसम के

बावजूद तिनसुकिया मंडल मुख्यालय जाकर उन सबसे भी भेंट की थी. इसके अलावा सिर्फ एकाउंट्स के लोगों में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी श्री मुखर्जी का बहुत सम्मान करते रहे हैं.

परंतु अब इन अत्यंत शालीन और शिष्ट 'बाबू मोशाय' को रेलवे के वर्तमान निज़ाम द्वारा वित्तीय आंकड़ों सहित रेलवे के अन्य तमाम कार्य-निष्पादन संबंधी आंकड़ों में 'हेराफेरी और कर्ज लेकर घी पियो' की नीति में भागीदार बनने की उनसे की गई अपेक्षा कतई पसंद नहीं आई है. यही वजह है कि वह जिस तरह अपनी पूरी सर्विस में बेदाग रहे, उसी तरह बेदाग रहते बाइज्जत रेलवे से बाहर हो जाना चाहते हैं. हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि वर्तमान प्रशासन तंत्र पर हावी माफिया इतनी आसानी से श्री मुखर्जी को छोड़ने वाला नहीं है. जानकारों का यह भी कहना है कि श्री मुखर्जी अपनी असमय वीआरएस के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, या मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि उनके लिए यह समय बहुत कठिन है, यदि उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहा, तो न सिर्फ उनका चारित्रिक हनन किया जाएगा, बल्कि यह डेढ़ महीने का समय उनके लिए काफी मुश्किल कर दिया जाएगा. जबकि 'स्टोरकीपर' सीआरबी यह कहकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं मालूम है.

जानकारों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि श्री मुखर्जी रेलवे के वर्तमान निज़ाम के कामकाज और वित्तीय एवं कार्य-निष्पादन शेष पेज 7 पर...

पी. के. सांघी बने उत्तर रेलवे के नए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

- रेलवे बोर्ड द्वारा रेवेन्यु पोस्टों के एलीमेंट्स को इधर-उधर ट्रांसफर किया जाना नियमतः गलत
- मनचाही पोस्टिंग कराने में सफल हो रहे हैं भूमिहार या गाजीपुरिया अथवा निकटवर्ती अधिकारी

नई दिल्ली : उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण (सीएओ/ सी) के पद पर वरिष्ठ आईआरएसई अधिकारी पी. के. सांघी की पोस्टिंग की गई है. उन्होंने अपना नया पदभार संभाल लिया है. श्री सांघी इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर में प्रमुख मुख्य इंजीनियर (पीसीई) के पद पर कार्यरत थे. श्री सांघी अंबाला मंडल, उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक रह चुके हैं. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि श्री सांघी का पोस्टिंग ऑर्डर 30 जून को ही जारी होना था, मगर रेलमंत्री की व्यस्तता के कारण फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे, इसी वजह से 1 जुलाई को उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया. ज्ञातव्य है कि 30 जून को बी. डी. गर्ग के सेवानिवृत्त होने से सीएओ/सी/उ.रे. का यह पद खाली हुआ था.

ज्ञातव्य है कि उत्तर रेलवे में सीएओ/सी के तीन पद हैं. सूत्रों का कहना है कि जोनल रेल प्रशासन द्वारा रेलवे बोर्ड से यह अनुरोध किया गया था कि उत्तर रेलवे निर्माण संगठन में ही सीएओ/सी-2 के पद पर कार्यरत जयदीप राय को प्रमुख सीएओ/सी नहीं बनाया जाए, वरना निर्माण कार्यों की प्रगति की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि डीआरएम/लखनऊ मंडल से निवृत्त होने के बाद श्री राय की पोस्टिंग पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर (पीसीई) के पद पर हुई थी, जहां करीब चार महीने काम करने और एच. के. जग्गी के जीएम बनकर चले जाने के बाद उनकी पोस्टिंग सीएओ/सी-2/उ.रे. के पद पर दिल्ली में की गई थी, क्योंकि दिल्ली में उनका विभागीय आवास कायम था. सीएओ/सी-3 के पद पर यहां ए. के. सचान की पोस्टिंग डीआरएम/दिल्ली मंडल से निवृत्त होने के बाद की गई थी और इस पद पर कार्यरत रहे सुरिंदर कौल को रेलवे बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया था.

रेवेन्यु पोस्ट का एलीमेंट ट्रांसफर किया जाना अनुचित

उधर, पूर्व मध्य रेलवे की पीसीई की पोस्ट पर कार्यरत रहे पी. के. मिश्रा को दो महीने से भी कम समय में पश्चिम रेलवे, मुंबई के मुख्य संरक्षा अधिकारी (सीएसओ) के पद पर ट्रांसफर (रे.बो.पत्र सं.ई(ओ)3-2016/टीआर/238, दि. 23.06.2016) किया गया है. इसी प्रकार पीसीई/पू.म.रे. की एसएजी में डाउनग्रेडेड पोस्ट पर पूर्वोत्तर रेलवे से एच. के. सिंह को भेजा गया है. श्री मिश्रा के लिए पूर्व मध्य रेलवे की पीसीई (एचएजी) पोस्ट का एलीमेंट भी सीएसओ/प.रे. के लिए ट्रांसफर किया गया है. हालांकि वरिष्ठ रेल अधिकारियों का कहना है कि रेवेन्यु पोस्ट का एलीमेंट ट्रांसफर किया जाना नियमतः गलत और अनुचित है. उनका कहना है कि सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मगर व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखकर अथवा किसी चहेते को पुरस्कृत करने के लिए रेलवे बोर्ड इंजीनियरिंग निदेशालय द्वारा विगत में भी ऐसा किया जाता रहा है, शायद इसीलिए श्री मिश्रा के लिए उक्त रेवेन्यु एलीमेंट ट्रांसफर किया गया है. उनका यह भी कहना है कि पीसीई/पू.म.रे. की पोस्ट पर पिछले एक-डेढ़ साल के दरम्यान यह तीसरा फेरबदल हुआ है, जिसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता.

इस विषय में 'रेलवे समाचार' द्वारा कुछ जानकारों से उनकी प्रतिक्रिया मांगने पर उनका कहना था कि चूंकि पूर्व जीएम/पू.म.रे. और वर्तमान मेंबर इंजीनियरिंग के साथ श्री मिश्रा पूर्व मध्य रेलवे में पीसीई रहे हैं, शायद इसीलिए उन्हें ओब्लाइज किया गया है. उनका यह भी कहना है कि श्री मिश्रा की नजर निकट भविष्य में खाली होने वाली मध्य रेलवे की सीएओ/सी की पोस्ट पर है. इसीलिए वह पहले से ही मुंबई पहुंचकर वहां जम गए हैं, जिससे कि ऐन मौके पर कोई अन्य अधिकारी उक्त पद पर अपनी दावेदारी नहीं जता सके. ज्ञातव्य है कि वर्तमान सीएओ/सी/म.रे. महेश कुमार गुप्ता के जल्दी ही जीएम बनने से उक्त पद रिक्त होने वाला है. इसके अलावा सीएसओ/प.रे. रहे संजीव मित्तल को एसडीजीएम/पू.म.रे. (रे.बो.पत्र सं.ई(ओ)3-2016/टीआर/239, दि. 23.06.2016) के पद पर शिफ्ट किया गया है.

जानकारों का कहना है कि रेलवे बोर्ड को इस बात की कोई चिंता नहीं कि किसी अधिकारी विशेष अथवा विभाग प्रमुख का वर्किंग आउटपुट क्या है? जबकि रेलमंत्री को इस सबसे कोई लेनादेना ही नहीं है. उनका कहना है कि दूसरी तरफ भूमिहार अधिकारियों की छोटे मंत्री की शह पर खूब मौज हो रही है. उनका यहां तक कहना है कि कई चालाक अधिकारी, जो कि वास्तव में भूमिहार या गाजीपुरिया नहीं हैं, वह भी अपने को भूमिहार अथवा गाजीपुरिया या उसका निकटवर्ती घोषित करते हुए छोटे मंत्री से अपनी मनचाही पोस्टिंग कराने में सफल हो रहे हैं. उन्होंने इस पर चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि 'यहां कौन देखने या जांच करने जाता है कि कौन भूमिहार या गाजीपुरिया है, कौन नहीं, सिर्फ कहना ही तो होता है.' उनका कहना है कि भारतीय रेल में जब से छोटे मंत्री को अधिकारियों की ट्रांसफर/पोस्टिंग का अधिकार सौंपा गया है, तब से सिर्फ भूमिहार अधिकारियों की ही मनचाही पोस्टिंग हो रही है. इस मुद्दे पर कई जानकारों ने 'रेलवे समाचार' से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोनों मंत्रियों के सलाहकारों और ईडी/पीजी को बदलने की आवश्यकता जताई है.

आलोक रंजन ने पीसीई/उ.म.रे. का पदभार संभाला

राजीव चौधरी को एडवाइजर/लैंड एंड एमिनिटी, रेलवे बोर्ड के पद पर भेजा गया

इलाहाबाद : भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अलोक रंजन ने 1 जुलाई को उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर (पीसीई) का पदभार ग्रहण किया. यह पद राजीव चौधरी के सलाहकार/भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित होने से रिक्त हुआ था. हालांकि बहुत कम समय में श्री चौधरी का ट्रांसफर क्यों किया गया, इस बारे में रेल प्रशासन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. तथापि, ऐसा माना जा रहा है कि श्री चौधरी खुद ही दिल्ली जाना चाहते थे. यह बदलाव एक-दूसरे के स्थान पर किया गया है.

आलोक रंजन भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) वर्ष 1980 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं. श्री रंजन उत्तर मध्य रेलवे में पदस्थापित होने से पहले वरिष्ठ मंडल अभियंता/समन्वय, उत्तर रेलवे, लखनऊ, मुख्य इंजीनियर/योजना, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, मंडल रेल प्रबंधक/बीकानेर, उत्तर पश्चिम रेलवे, कार्यकारी निदेशक/ब्रिज एंड स्ट्रक्चर, रेलवे बोर्ड एवं सलाहकार/भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. श्री रंजन ने ब्रिटेन से नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में एमएससी और आईआईटी, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की है.

उ.म.रे. द्वारा कानपुर से प्रयाग और फतेहपुर के लिए 2 गाड़ियों की शुरुआत

घोषणा के ढ़ाई साल बाद चलाई जा सकी कानपुर-प्रयाग इंटरसिटी एक्स. ट्रेन

लालगंज बैसवारा : रेलयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा गाड़ी सं. 14102/14101 कानपुर सेंट्रल-प्रयाग के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन एवं गाड़ी सं. 64593/64594 कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर के लिए एक सवारी गाड़ी (मेमू) की शुरुआत स्थानीय सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी की उपस्थिति में कानपुर स्टेशन से 3 जुलाई को की गई. सांसद श्री जोशी ने इन दोनों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इनका उदघाटन किया. इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण सक्सेना सहित इलाहाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज तथा मंडल एवं मुख्यालय के सभी अधिकारी उपस्थित थे.

यह गाड़ी 3 जुलाई को विशेष गाड़ी सं. 04102 के रूप में कानपुर सेंट्रल से 16.30 बजे चलाई गई. इस गाड़ी का नियमित संचालन गाड़ी सं. 14101 के रूप में 4 जुलाई को प्रयाग से तथा गाड़ी सं. 14102 के रूप में 5 जुलाई को कानपुर से शुरू हो गया है. कानपुर-प्रयाग के बीच इस गाड़ी की शुरुआत से लालगंज बैसवारा क्षेत्र के हजारों यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से उन्हें अत्यंत ख़ुशी हुई है. लालगंज बैसवारा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक एस. के. त्रिपाठी के अनुसार इस इंटरसिटी ट्रेन के चलाए जाने से स्थानीय लोगों में हर्ष की लहर है. इससे लाखों क्षेत्रीय लोगों को लाभ होगा.

उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन की घोषणा वर्ष 2014 के बजट में स्थानीय सांसद सोनिया गांधी के प्रयास से की गई थी. इसके अतिरिक्त कानपुर सेंट्रल-फतेहपुर मेमू सवारी गाड़ी सं. 64593/64594 के रूप में परिचालन नियमित रूप से पूर्व में चल रही कानपुर सेंट्रल-फतेहपुर सवारी गाड़ी सं. 5441/54152 के समय एवं ठहराव पर 4 जुलाई से किया जा रहा है.

पर्यावरण को दूषित होने से बचाना हमारा परम कर्तव्य है -डॉ. नरेश चंद्र

कल्याण : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को बिड़ला महाविद्यालय, कल्याण द्वारा कल्याण रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया. इस अवसर पर कल्याण आरक्षण कार्यालय की तरफ खाली पड़ी रेलवे भूमि पर नए पौधे लगाए गए. बिड़ला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश चंद्र की प्रेरणा और कल्याण स्टेशन प्रबंधक पी. के. दास एवं मुख्य टिकट निरीक्षक अनिल गर्ग के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ.

सीटीआई, कल्याण अनिल कुमार गर्ग, बिड़ला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश चंद्र, विपिन वाडेकर, नितीन बर्वे एवं डॉ. श्याम सुंदर पांडेय एवं अन्य.

इस कार्य में बिड़ला महाविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र, एनसीसी और एनएसएस के छात्रों का विशेष सहयोग रहा. सबसे मुख्य बात यह थी कि पूरे वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लगातार जारी बरसात में भी डॉ. नरेश चंद्र और रेलवे के उक्त सभी अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम संपन्न करते रहे और छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया. सबने यह तय किया कि यह पौधे निश्चित ही एक दिन बड़े पेड़ बनकर पर्यावरण की स्वच्छता में भागीदार बनेंगे. पेड़ों की देख-रेख का कार्य भी बिड़ला महाविद्यालय के विद्यार्थियों और रेल कर्मचारियों के सहयोग से जारी रहेगा.

इस कार्यक्रम में बिड़ला महाविद्यालय के प्रो. विपिन वाडेकर, नितिन बर्वे, डॉ. श्याम सुंदर पांडेय, डॉ. महादेव यादव सहित मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक श्रीमती अंजली देवगडे, प्रदीप, पूनम, सरिता, डी. वी. रमन, एस. के. शर्मा, एस. के. सांबरे एवं टी. के. राय इत्यादि रेलकर्मियों का विशेष योगदान रहा. उल्लेखनीय है कि डॉ. नरेश चंद्र स्वयं पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूक रहने वाले एक सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं. इस मौके पर प्रचार्य डॉ. नरेश चंद्र ने कहा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना हमारा परम कर्तव्य है. इस अवसर पर उन्होंने बिड़ला महाविद्यालय में भी वृक्षारोपण का आयोजन किया, जिसमें व्यापक मात्रा में पौधे लगाए गए. इस अवसर पर डॉ. स्वप्ना समेल, प्रो. सी. डी. फडके, डॉ. अविनाश पाटिल, डॉ. हरीश दुबे आदि प्राध्यापक उपस्थित थे.

अनिश्चितकालीन रेल हड़ताल स्थगित

सुरेश त्रिपाठी

- तारीख दर तारीख आगे बढ़ती हड़ताल : श्रमिक संगठनों से हुआ कर्मचारियों का मोह भंग
- सरकारी कर्मचारियों को डराने और श्रमिक नेताओं पर लगाम कसने में कामयाब रही सरकार

केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फ़ॉर्मूले पर और एक समिति के गठन के एक सामान्य आश्वासन पर 6 जुलाई को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति (एनजेसीए) ने अनिश्चितकालीन रेल हड़ताल को स्थगित कर दिया. एनजेसीए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि उपरोक्त दोनों मुद्दों पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि अपनी रिपोर्ट चार महीने में सरकार को सौंपेगी. इससे उनकी प्रमुख मांगों का उचित समाधान हो गया है और उम्मीद है कि समिति द्वारा उक्त दोनों मुद्दों पर श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अतः सरकार के इस आश्वासन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया जाता है.

हालांकि इससे पहले 30 जून को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर वित्तमंत्री अरुण जेटली, रेलमंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के साथ हुई केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं की बैठक में ही यह तय हो गया था कि रेल हड़ताल नहीं होगी. 'रेलवे समाचार' ने 'रेल हड़ताल की संभावना क्षीण' शीर्षक से इस बारे में लिखा भी था. इसके अलावा लाखों रेलकर्मियों सहित तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को भी यह पता था कि अंत-अंत तक हड़ताल या तो वापस ले ली जाएगी, या फिर किसी तथाकथित सम्मानजनक समझौते के तहत हड़ताल को स्थगित कर दिया जाएगा. हुआ भी यही है. हालांकि 29 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी और उसी दिन सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने की घोषणा के बाद तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षाएं भंग हुईं और वे हड़ताल के पक्ष में पूरी तरह से एकजुट हो गए थे.

इससे अगले वर्ष उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही भाजपा के लिए फिलहाल किसी राज्य की विधानसभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ सरकार के हाथ-पांव फूल गए, बल्कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं को भी हड़ताल के पक्ष में उनकी अपेक्षा से अधिक समर्थन मिल गया. हड़ताल के समर्थन में रेलवे सहित तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के भारी उत्साह को देखते हुए जहां सरकार को अपनी राजनीतिक जमीन हिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हालत भी उनके गले में फंसे गुड़ भरे हंसिए जैसी हो गई, जिसे उन्हें न उगलते बन रहा था, न ही निगलते, क्योंकि जिस तरह कर्मचारियों का असंतोष फूट पड़ा और वह मैदान में उतर आए, उसे देखते हुए केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं को अब हड़ताल से भागने का कोई अवसर नहीं था.

वेतन आयोग को लागू किए जाने की घोषणा के बाद रेलवे सहित लगभग सभी केंद्रीय संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों द्वारा देश भर में और रेलवे के लगभग सभी जोनों और मंडलों में आए दिन प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री तथा जस्टिस ए. के. माथुर आदि के पुतले जलाए जाने लगे. यहां तक कि बकायदे उनकी शव यात्राएं भी निकाली गईं. यह भी प्रचार किया गया कि 'भाजपा नीत सरकार ने पहले पुरानी पेंशन योजना छीनकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय बना दिया, और अब वेतन भी छीनने पर अमादा है, यदि 2019 में पुनः भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया गया, तो यह सरकारी कर्मचारियों की नौकरी भी छीन लेगी.' इसके साथ ही यह प्रचार करके वित्तमंत्री अरुण जेटली की जबरदस्त खिंचाई की गई, कि 'यह वही अरुण जेटली हैं, जो विपक्ष में रहते हुए कहा करते थे कि इस देश में एफडीआई उनकी लाश पर से गुजर कर ही आ पाएगी, और अब यही जेटली साहब देश के हर क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफडीआई, पीपीपी और आउटसोर्सिंग के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं.' इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन रहे जस्टिस ए. के. माथुर द्वारा एक साक्षात्कार में रेलवे में 'सफेद चादर' न मिलने और सरकारी कर्मचारियों के काम नहीं करने के बयान पर बिफरे रेलकर्मियों ने 'ईश्वर उन्हें जल्दी ही सफेद चादर (कफ़न) ओढ़ाए' की प्रार्थना करके उनका जबरदस्त मजाक बनाया.

29 जून के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों, जिनमें सबसे आगे रेलकर्मी ही थे, द्वारा लगातार धरना-मोर्चा, आंदोलन करने सहित केंद्रीय मंत्रियों के पुतले फूंकने और उनकी शव यात्राएं निकालने के कार्यक्रम जोर पकड़ते जा रहे थे. इसके साथ ही भाजपा और सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया में भी दुष्प्रचार की भारी बाढ़ आ गई. इस संपूर्ण परिदृश्य को देखकर सरकार और सभी सरकारी महकमों की चूलें हिलने लगी थीं. तभी कुछ सरकारी बिचौलियों के माध्यम से अचानक 30 जून की देर शाम को चार केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं की बैठक आमंत्रित कर ली गई और प्रचारित यह किया गया कि ऐसा प्रधानमंत्री की पहल पर किया गया है, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री लंबी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं और वह इससे पहले हड़ताल को लेकर कोई निश्चित समाधान चाहते हैं. जबकि इससे पहले दो साल तक केंद्र सरकार ने किसी भी केंद्रीय श्रमिक संगठन या उनके नेताओं को तनिक भी तवज्जो नहीं दी थी. इस बीच हड़ताल होनी चाहिए, या नहीं, इसको लेकर मान्यताप्राप्त रेल संगठनों ने दो बार रेलकर्मियों से मतदान करवाया. दोनों बार 96 से 98 प्रतिशत रेलकर्मियों के हड़ताल के पक्ष में मतदान किए जाने का दावा किया गया, जबकि यह मतदान कैसे हुआ, कैसे कराया गया, इसका असली सच सभी रेलकर्मी जानते हैं. हालांकि रेलकर्मियों का मोह अपने श्रमिक संगठनों से तभी भंग हो गया था, जब उन्होंने सरकार की मात्र एक अपील पर बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हड़ताल को तीसरी बार टाल दिया था.

30 जून को गृहमंत्री के आवास पर हुई बैठक में सरकार की तरफ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरुण जेटली, रेलमंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से एनजेसीए के कन्वेनर एवं ऑल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा, एनजेसीए के चेयरमैन एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया, एनजेसीए के सदस्य के. के. एन. कुट्टी एवं सी. श्रीकुमार.

'सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते और रेलवे में सफेद चादर नहीं मिलती' जैसे बयान के बाद डीआरएम कार्यालय से सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए. के. माथुर के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल सचिव तथा एनएफआईआर के जोनल प्रमुख अजय सिंह एवं उनके साथीगण.

इस बीच सरकार के तेवर भी बहुत कड़े नजर आए. उसके निर्देश पर रेलवे सहित सभी सरकारी महकमों ने न सिर्फ हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया, बल्कि हड़ताल विरोधी विभिन्न कानूनों का हवाला देकर इसके तहत कर्मचारियों को दो साल की सजा और जुर्माना आदि बता दिए जाने से तमाम कर्मचारी कुछ हद तक बिखरे, मगर टूटे नहीं थे. इसके अलावा सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं, जो कर्मचारी छुट्टी पर थे, उनकी छुट्टियां रद्द करके उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया. सभी सरकारी एवं रेलवे अस्पतालों के डॉक्टरों को कड़े निर्देश जारी किए गए कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी को मेडिकल छुट्टी पर न रखें. किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश भी नहीं दिए जाने के आदेश सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए. पुलिस फोर्स सहित सभी फोर्सेज को सतर्क और किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह दिया गया था. सरकार की इस सब तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सभी नेताओं को भी इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि उनका जो होगा, सो तो होगा ही, परंतु हड़ताल होने पर बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा, हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ सकती हैं. इसलिए यह हड़ताल न हो, इसके लिए सरकार के साथ वह भी प्रयासरत हो गए. हालांकि कर्मचारी तो अब यह भी कह रहे हैं कि उनके बजाय श्रमिक नेताओं को ही अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा था.

अब जब वेतन आयोग की घोषणा के बाद उससे उपजे भारी असंतोष के कारण अनिश्चितकालीन रेल हड़ताल के पक्ष में रेलकर्मियों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने उत्स्फूर्त समर्थन घोषित कर दिया, तब पुनः श्रमिक नेताओं द्वारा सरकार के एक सामान्य आश्वासन या बिना किसी पुख्ता घोषणा के ही चौथी बार हड़ताल को स्थगित कर देने या उससे भाग खड़े होने पर उन्होंने अपनी बची-खुची गरिमा और भरोसे को भी पूरी तरह से गंवा दिया है. अब चार महीने बाद तथाकथित समिति द्वारा उपरोक्त दोनों मुद्दों पर क्या अनुशंसा की जाएगी, और क्या वास्तव में श्रमिक नेता अपने कर्मचारी साथियों को कुछ दिला पाने में समर्थ हो सकेंगे, इस बारे में फिलहाल न तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, और न ही संबंधित नेतागण कुछ कहने की स्थिति में रह गए हैं. उन्होंने 'गोपनीय' - 'अगोपनीय' चिट्ठियों के माध्यम से सभी कर्मचारियों और क्षेत्रीय नेताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद तो ज्ञापित कर दिया है, मगर किसी नेता ने अब तक कोई सार्वजनिक सभा लेने की कोशिश नहीं की है. जबकि उन्हें अपनी इस 'जीत' के लिए सार्वजनिक तौर पर सभाएं करके सभी सरकारी कर्मचारियों एवं सभी क्षेत्रीय नेताओं का शुक्रिया अदा करने उनके सामने आना चाहिए था.

वेतन आयोग लागू किए जाने की घोषणा के साथ ही सरकार ने श्रमिक संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे 'एनपीएस' के मामले को एक अन्य समिति के हवाले करके उस पर श्रमिक संगठनों को कुछ भी हरकत करने से पहले ही सीमित या प्रतिबंधित कर दिया था. इस अत्यंत ज्वलंत मुद्दे पर पिछले 12 सालों में कोई उचित समाधान नहीं निकाला जा सका, जिससे सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन पहले से ही न सिर्फ कर्मचारियों के दबाव में हैं, बल्कि उनका कोपभाजन भी बन रहे हैं. अब न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फ़ॉर्मूले पर एक और समिति बनाए जाने से वह बहुत हताश और निराश हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पांचवें और छठवें वेतन आयोग की विसंगतियों का भी जब अब तक कोई उचित समाधान करा पाने में यह संगठन कामयाब नहीं हो पाए, तो इन समितियों से इन्हें शायद ही कुछ हासिल हो पाएगा. उनका यह भी कहना है कि हड़ताल करने के लिए जब दो-दो बार रेलकर्मियों की राय पूछी जा सकती है, तो हड़ताल स्थगित करने के लिए उनकी यह राय क्यों नहीं ली गई? जबकि इसके लिए दोनों शीर्ष संगठनों के पास 1 जुलाई से 6 जुलाई तक का पर्याप्त समय था.

तथापि, यह ठीक है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना अधिकार हासिल करने का हक है और इसके लिए धरना-मोर्चा एवं आंदोलन करने का भी अधिकार है. परंतु पिछले करीब दो-ढ़ाई साल के दरम्यान सरकारी कर्मचारी धरना-मोर्चा आंदोलन करने सहित सातवें वेतन आयोग से उन्हें क्या मिलने वाला है, आदि को लेकर जिस तरह से अपने गुणा-भाग करने में लगे हुए थे, इनमें कार्यालयीन कर्मचारी ही ज्यादातर लिप्त थे, उससे बड़े पैमाने पर मानव घंटों एवं कार्य दिनों का नुकसान हुआ है, जो कि एक राष्ट्रीय क्षति ही कही जाएगी, इस बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए. यदि साकार समय रहते सार्वजनिक एवं कर्मचारी हित के फैसले कर ले, तो न सिर्फ इस भारी राष्ट्रीय क्षति से बचा जा सकता है, बल्कि इसे राष्ट्र के विकास की तरफ मोड़ा जा सकता है, जो कि वर्तमान केंद्र सरकार का एजेंडा भी है.इसके साथ सभी श्रमिक संगठनों को भी कर्मचारी हितों की अपनी पारंपरिक भूमिका को निभाने के साथ ही अब इस बारे में सोचना चाहिए कि इस राष्ट्रीय क्षति को रोककर इसे किस तरह राष्ट्र निर्माण की तरफ मोड़ा जाए. इसके लिए उन्हें सर्वप्रथम प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जोड़तोड़ से दूर रहना होगा और राष्ट्र एवं कर्मचारी हितों के लिए निष्पक्ष एवं विशुद्ध रूप से काम करना होगा.

नए सीआरबी की तलाश

सुरेश त्रिपाठी

वर्तमान चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ए. के. मित्तल 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. रेल मंत्रालय में उनकी जगह नए चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) की खोज बहुत तेजी से शुरू हो गई है. परंतु इस बार परंपरागत प्रक्रिया और निर्धारित नियमों को दरकिनार करके सक्षम और योग्य अधिकारी की तलाश का जिम्मा एक सर्च कमेटी को सौंपा गया है. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद के योग्य एवं काबिल (एलिजिबल) अधिकारियों की एक सूची बनाकर हाल ही में सीआरबी द्वारा रेलमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परंतु रेलमंत्री को उक्त सूची में 'अपने अनुरूप' कोई काबिल अधिकारी नजर नहीं आया. इसके परिणामस्वरूप उन्होंने नए सीआरबी की तलाश का मामला एक सर्च कमेटी को सौंपने को कहकर फाइल पर इस बाबत अपना मंतव्य भी दर्ज कर दिया. जानकारों का कहना है कि सीआरबी ने भी अब इस मामले को सर्च कमेटी को सौंपे जाने का ऑर्डर कर दिया है. हालांकि इस कथित सर्च कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं, इस बारे में तो फिलहाल कुछ ज्ञात नहीं हो सका है, मगर जानकारों का कहना है कि अब यह सर्वविदित है कि सर्च कमेटी का मतलब वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी भाजपा अथवा उससे जुड़ा संगठन आरएसएस ही होता है. यानि भाजपा या आरएसएस के कर्ताधर्ता जो कहेंगे, जिसके नाम पर उंगली रखेंगे, वही काबिल और योग्य करार दिया जाएगा. जानकारों का यह भी कहना है कि इस सबके ऊपर जिसकी तरफ प्रधानमंत्री का इशारा होगा, सर्च कमेटी उसके अनुरूप अंग्रेजी बनाएगी, और कहा जाएगा कि 'इतना काबिल एवं योग्य एसेट देश में मौजूद था, मगर पिछले 70 सालों में किसी को नजर नहीं आया, यह जब फलां हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो इसके पैदा होते ही पूरे हास्पिटल में उजाला हो गया था, और जब यह छह साल का था, तब इसने कालिया नाग की नाक में नकेल डालकर अपने शहर को उसके कोपभाजन से बचाया था. इसके बाद वह जैसे-जैसे बड़ा होता गया उसकी बहादुरी के चलते उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती चली गई और अब हमने इसकी काबिलियत और दिव्य-दृष्टि को पहचाना है, इसे सीआरबी इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एक यही है, जो अब भारतीय रेल का उद्धार कर सकता है.'

कुछ इसी तरह दो साल पहले वर्तमान रेलमंत्री की भी खोज की गई थी और उन्हें दल-बदल करवाकर यह कहा गया था कि उनकी प्रतिभा और काबिलियत की पहचान उनकी पार्टी को नहीं हुई, उनकी प्रतिभा को पहले भी भाजपा या आरएसएस ने ही पहचाना था और अटलबिहारी बाजपेई सरकार में अहम् मंत्रालय सौंपा था और अब पुनः उनकी काबिलियत की पहचान करके उन्हें रेलमंत्री बनाया गया है. जानकारों का कहना है कि अब भले ही वह एक अयोग्य मुनीम की तरह भारतीय रेल का बंटाधार कर रहे हैं, और कर्ज में डूबाकर उसे निजीकरण की तरफ ढकेल रहे हैं, और भले ही संपूर्ण रेलवे बोर्ड द्वारा पूरी तरह से नकार दिए जाने के बावजूद यह 'मुनीम जी' डॉ. बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट पर पिछले दरवाजे से पूरी शिद्दत के साथ अमल कर रहे हैं, मगर पूरा रेलवे बोर्ड और रेलवे के मान्यताप्राप्त संगठन मूकदर्शक बने हुए हैं और मुनीमजी को नाकाबिल, नासमझ, अयोग्य, रेलमंत्री के रूप में पूरी तरह से नापास इत्यादि कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं. मगर यह भी सच है कि भारतीय रेल में चौतरफा अराजकता का माहौल है, आए दिन जहां-तहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटिया अर्थ-वर्क के चलते थोड़ी सी ही बरसात में रेल लाइनों का फाउंडेशन बह गया है, घटिया मेंटेनेंस के कारण लोकल ट्रेनों की कपलिंक टूट रही हैं, चौतरफा अनधिकृत वेंडर्स की भरमार है, ई-कैटरिंग में यात्रियों को ख़राब और बासी खाना सप्लाई किया जा रहा है, कोई भी ट्रेन निर्धारित समय पर नहीं चल रही है, लंबी दूरी की ज्यादातर गाड़ियां दो से चार घंटे की देरी से चल रही हैं, मगर प्रधानमंत्री को दर्शाने के लिए सोशल मीडिया और ट्विटर पर भारतीय रेल की छवि चमाचम चमकमाई जा रही है. बहरहाल, सीआरबी के लिए विभागीय स्तर पर सबसे पहला नाम अश्वनी लोहानी (आईआरएसएमई) का चल रहा है, जो कि फिलहाल रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं. उनका कार्यकाल करीब दो साल पांच महीने बाकी है. वह 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रवीन्द्र गुप्ता का भी नाम है, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2018 तक पूरे दो साल का है. इनके अलावा बतौर महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, मेट्रो रेलवे एवं पूर्व रेलवे तीनों का एकसाथ चार्ज संभाल रहे ए. के. गोयल के नाम की भी चर्चा हो रही है, जबकि उनका कार्यकाल दो साल से कम रह गया है. वह 30 अप्रैल 2018 को सेवानिवृत्त होंगे. जानकारों का कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि श्री गोयल को सीआरबी बना दिया जाए, क्योंकि अब रेलवे स्टोर्स वाले बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनके पास बजट भी बहुत होता है. तथापि उनका यह भी कहना है कि मगर अब शायद ही अन्य सर्विस/कैडर वाले किसी स्टोर्स ऑफिसर को सीआरबी बनने का मौका देंगे, क्योंकि वर्तमान 'स्टोरकीपर' की कार्य-प्रणाली को देखने के बाद सभी कैडर उनसे बहुत बुरी तरह खफा हो चुके हैं.

दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड में बतौर मेंबर कार्यरत कोई भी अधिकारी सीआरबी बनने की पहली शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है. उल्लेखनीय है कि जिस तरह जीएम बनने के लिए न्यूनतम दो साल का कार्यकाल बाकी होना जरुरी है, ठीक उसी तरह सीआरबी बनने के लिए भी न्यूनतम दो साल का कार्यकाल होना जरुरी है. इसके अलावा सीआरबी के लिए दो तरह की अन्य शर्तें भी हैं, जिन्हें समय-समय पर अपने चहेतों को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है. रेलवे बोर्ड में सबसे सीनियर मेंबर (स्टाफ) प्रदीप कुमार हैं, उनका कार्यकाल एक साल से कम (30 जून 2017) रह गया है, जबकि मेंबर मैकेनिकल हेमंत कुमार चार महीने बाद 30 नवंबर 2016 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. मेंबर इलेक्ट्रिकल ए. के. कपूर का कार्यकाल सिर्फ सात महीने (फरवरी 2017) बाकी है. नव-नियुक्त मेंबर इंजीनियरिंग ए. के. मित्तल का भी कार्यकाल 31 अगस्त 2017 (13 महीने) तक है. अब मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद ही बोर्ड में एक ऐसे अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा 23 महीने का है. उनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2018 को होगी. हालांकि उपरोक्त में से सीआरबी पद के लिए सबसे काबिल और योग्य अधिकारी अश्वनी लोहानी हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत, योग्यता और ईमानदारी निर्विवाद रूप से स्थापित है. यदि उन्हें यह मौका दिया जाता है, तो वह एक योग्य रेल अधिकारी होने के नाते भारतीय रेल के उत्थान में प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. इसके अलावा जानकारों का यह भी कहना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम कार्ड खेलकर यदि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा सहित आरएसएस ने राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य सामने रखा, तो इसका फायदा मोहम्मद जमशेद को मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर तब भाजपा यह दावा कर सकती है कि पिछले लगभग पचास साल सत्ता में रहने और आजादी के 69 साल बाद भी किसी मुस्लिम को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन (पदेन प्रधान सचिव, भारत सरकार) नहीं बनाया गया, मगर भाजपा ही वह एकमात्र सेकुलर राजनीतिक पार्टी है, जिसने यह काम किया है और जो मुसलमानों की सच्ची हितैषी है. ऐसी स्थिति में सर्च कमेटी किसी को भी सीआरबी बना सकती है, क्योंकि अब नियम, परंपरा के अलावा व्यक्ति की काबिलियत, योग्यता, ईमानदारी और अनुभव का कोई मतलब नहीं होगा.

वरिष्ठ आईआरएसई अधिकारी चाहते राम बने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के नए जीएम

नई दिल्ली : आखिर रेलवे बोर्ड ने वरिष्ठ आईआरएसई अधिकारी चाहते राम की पोस्टिंग महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पद पर 8 जुलाई को कर दी. श्री राम ने फौरन अपनी नई जगह पर ज्वाइन कर लिया और शनिवार, 9 जुलाई को गुवाहाटी पहुंचकर एच. के. जग्गी से अपना नया चार्ज भी ग्रहण कर लिया है. जॉइनिंग के तुरंत बाद उन्होंने रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन के साथ मुलाकात और बैठक भी की. इस अवसर पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, निर्माण एच. के. जग्गी भी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि पिछले छह महीनों से श्री जग्गी ही पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ओपन लाइन का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे थे. जानकारों का कहना है कि हाल ही में गुवाहाटी, असम से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल राज्यमंत्री के रूप में शामिल हुए राजेन गोहेन के कारण रेलवे बोर्ड दबाव में आया है. आनन-फानन में चाहते राम की पोस्टिंग की यह भी एक बड़ी वजह है.

■ चाहते राम की पोस्टिंग में करीब आठ महीने हुए विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन?

वर्ष 1981 बैच के वरिष्ठ आईआरएसई अधिकारी चाहते राम इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर में वर्ष 2011 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने रेल लाइन, पुलों और कारखानों जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया. श्री राम वर्ष 2007-09 तक मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ, उत्तर रेलवे, वर्ष 1996 से 2001 तक आरडीएसओ, लखनऊ में निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक तथा वर्ष 2003-07 तक पूर्व रेलवे में चीफ ब्रिज इंजीनियर जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा वह वर्ष 2009-11 तक जम्मू-कश्मीर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर/कंस्ट्रक्शन रहे, जहां उन्होंने लंबी सुरंगों और कई छोटे-बड़े पुलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें प्रशासनिक और निर्माण कार्यों का गहन अनुभव प्राप्त है. उल्लेखनीय है कि ठाणे खाड़ी पर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले रेलवे पुल के निर्माण में भी चाहते राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

इस सबके बावजूद चाहते राम की बतौर महाप्रबंधक पोस्टिंग में करीब आठ महीनों की देरी हुई है, जबकि तमाम उठापटक के बावजूद एसीसी ने चाहते राम की पोस्टिंग को मई 2016 में ही क्लियर कर दिया था. तथापि, रेलवे बोर्ड को उनकी पोस्टिंग करने में तीन महीने और लग गए. जानकारों का कहना है कि रेलवे बोर्ड की ऐसी ही कार्य-प्रणाली के कारण रेलवे के तमाम महत्वपूर्ण कार्य लटक जाते हैं. उनका यह भी कहना है कि पिछले वित्तवर्ष की दूसरी छमाही के दौरान विभिन जोनल रेलों के कार्य-निष्पादन में आई भारी गिरावट का यह एक प्रमुख कारण है.

इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि एक अत्यंत जूनियर अधिकारी की बोगस और बनावटी शिकायतों के मद्देनजर यदि रेलवे बोर्ड चाहते राम जैसे एक वरिष्ठ एवं आउटस्टैंडिंग अधिकारी के साथ न्याय नहीं कर सकता है और समयानुसार उचित निर्णय नहीं ले सकता है, तो वहां बैठकर प्रतिमाह लाखों रुपए के वेतन-भत्ते लेने वाले अधिकारी आखिर करते क्या हैं? जानकारों का यह भी कहना है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ जातिगत खुंदक रखने वाला उक्त जूनियर अधिकारी, जो कि जयपुर में पिछले करीब 15 वर्षों से एक ही जगह टिका हुआ है, के माध्यम से पूर्व मेंबर इंजीनियरिंग ने चाहते राम के साथ छल-कपट किया. बताते हैं कि पूर्व मेंबर इंजीनियरिंग ने पहले तो उक्त जूनियर अधिकारी को ठीक करने को कहा, और जब उसको 'ठीक' किया जाने लगा, तभी उसका इंटर रेलवे ट्रांसफर रद्द कर दिया. जानकारों का कहना है कि उक्त जूनियर अधिकारी जातिगत राजनीति का फायदा ले रहा है और इसी खुंदक के चलते उसने चाहते राम के खिलाफ झूठी शिकायतें की थीं. उनका यह भी कहना है कि यदि उन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं थी, तो रेलवे बोर्ड ने चाहते राम की पोस्टिंग में इतनी देरी क्यों की? यदि कोई सच्चाई थी, तो अब उस सबको दरकिनार करके उनकी पोस्टिंग कैसे कर दी गई? इसके चलते उनको हुए आर्थिक नुकसान एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए कौन जिम्मेदार है?

रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु

'शिकायत निवारण पोर्टल'

नई दिल्ली : रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए 'शिकायत निवारण पोर्टल' की शुरुआत की है. इस पोर्टल को क्रिस ने डिजाइन किया है. इस 'निवारण पोर्टल' का लोकार्पण करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जहां एक तरफ रेल कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ इससे इस बात का भी पता चलेगा कि किस विभाग में कितनी शिकायतें आ रही हैं.

रेलकर्मियों की शिकायतें के निपटारे हेतु 'निवारण' पोर्टल की शुरुआत के मौके पर रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बाएं से एनएफआईआर के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया, मेंबर स्टाफ, रेलवे बोर्ड प्रदीप कुमार, रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, रेलमंत्री सुरेश प्रभु, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, ए. के. मित्तल और एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा. इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन एडीशनल मेंबर/स्टाफ आनंद माथुर ने किया.

अब देखना यह है कि जहां ट्वीटर पर रेल अधिकारी रेलकर्मियों की शिकायतों को यह कहकर दरकिनार कर देते हैं कि यह विभागीय शिकायतों के निराकरण का फोरम नहीं है और समस्याओं का सामना करने से बच जाते हैं, वहीं अब इस निवारण पोर्टल के जरिए वह रेलकर्मियों की शिकायतों का कहां तक निपटारा करते हैं? रेलवे का यह एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि इससे अदालतों में जाने वाले सर्विस संबंधी मामले कम हो सकेंगे, जिनका निपटारा वास्तव में संबंधित रेल अधिकारियों को करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें उक्त पदों पर अधिकार सहित बैठाया गया है. इससे अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना भी आसान होगा.

एसआरएमयू के महामंत्री ने पहले ही कर दी हड़ताल स्थगित होने की घोषणा

चेन्नई : सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन (एसआरएमयू) के महामंत्री एन. कन्नैया ने यहां शुक्रवार, 1 जुलाई को ही एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर अनिश्चितकालीन रेल हड़ताल स्थगित होने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल को लेकर लाखों रेलकर्मियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी. इस संबंध में एक हिंदी दैनिक में छपी खबर की कटिंग सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी और कई रेलकर्मियों ने उक्त कटिंग एआईआरएफ के शीर्ष नेतृत्व को भेजकर उससे इसका खंडन करने और तत्काल स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी. 'रेलवे समाचार' को भी यह कटिंग तभी मिल गई थी और 'रेलवे समाचार' ने भी एआईआरएफ के शीर्ष नेतृत्व को इसे तत्काल भेजकर इसका स्पष्टीकरण माँगा था. परंतु ऐसा लगता है कि हड़ताल की गहमागहमी के बीच उसे इससे हुए नुकसान का ख्याल तक नहीं आया.

उल्लेखनीय है कि 30 जून की देर शाम को एनजेसीए के नेताओं और केंद्रीय गृहमंत्री, वित्तमंत्री, रेलमंत्री और रेल राज्यमंत्री के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अनिश्चितकालीन रेल हड़ताल

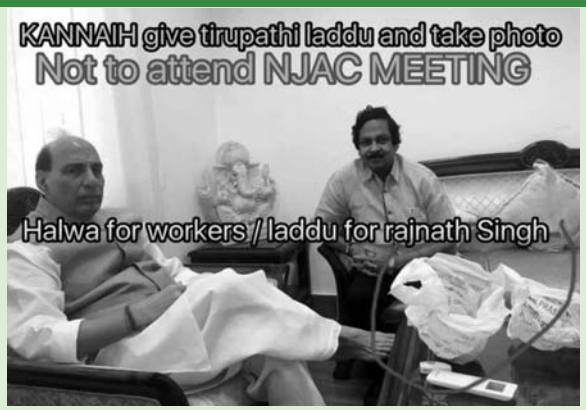

को लेकर पहली अधिकृत बैठक सरकार एवं यूनियन नेताओं के बीच हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव किया गया था कि न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फार्मूला पर एक समिति का गठन कर दिया जाए तथा समिति की रिपोर्ट आने तक चार महीनों के लिए हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया जाना चाहिए. इस पर एनजेसीए के पदाधिकारियों ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार से एक हफ्ते का समय माँगा था. इसका तात्पर्य यह था कि हड़ताल होनी है, या नहीं, इसका अंतिम निर्णय 6 जुलाई की अगली बैठक में होना था. एनजेसीए पदाधिकारियों में एआईआरएफ के महामंत्री और एनजेसीए के कन्वेनर शिवगोपाल मिश्रा, एनएफआईआर के महामंत्री और एनजेसीए के चेयरमैन डॉ. एम. राघवैया तथा सदस्य के. के. एन. कुट्टी एवं सी. श्रीकुमार उक्त बैठक में शामिल थे.

रेल कर्मचारियों को आश्चर्य इस बात का है कि जो घोषणा एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा को बतौर एनजेसीए कन्वेनर करनी चाहिए थी, वह भी 6 जुलाई की अगली बैठक के बाद, वह घोषणा राष्ट्रीय नेतृत्व सहित पूरी एनजेसीए को दरकिनार करके एसआरएमयू के महामंत्री एन. कन्नैया नामक 'पार्सल पोर्टर' ने कैसे कर दी? और इस पर एनजेसीए अथवा एआईआरएफ नेतृत्व ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया? बताया जाता है कि सीसीएम पर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पार्सल पोर्टर द्वारा सत्ताधारी भाजपा के विभिन्न नेताओं से नजदीकी बनाए जाने का जोरदार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पिछले हफ्ते वह तिरुपति के लड्डू लेकर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को 'प्रसाद' चढ़ाने पहुंचा था. रेलकर्मियों ने इस फोटो पर 'हलवा फॉर वर्कर्स, लड्डू फॉर राजनाथ सिंह' लिखकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, उनका यह भी कहना है कि यह फोटो और पोस्टर्स इस बात का ज्वलंत प्रमाण हैं कि पार्सल पोर्टर दक्षिण रेलवे में अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

रेलकर्मियों पर इसका रौब जमाने और रेल अधिकारियों को अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपनी उक्त फोटो, जिसमें थैलों में तिरुपति के लड्डू स्पष्ट रूप से दर्शनीय हैं, के तमाम बड़े-बड़े पोस्टर छपवाकर उसने दक्षिण रेलवे मुख्यालय के सामने और चेन्नई स्टेशन के आसपास लगवाए हैं. इसके अलावा इस पार्सल पोर्टर ने इन पोस्टर्स के जरिए अपने शीर्ष नेतृत्व सहित दक्षिण रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह दर्शाने की कोशिश की है कि वह अपनी अवैध कमाई की बदौलत किसी को भी अपने 'प्रभाव' में ले सकता है. कई रेलकर्मियों सहित कई रेल अधिकारियों का भी यह कहना है कि इस सबके बावजूद एआईआरएफ का शीर्ष नेतृत्व अब भी इस पार्सल पोर्टर को अपना बगलबच्चा बनाए रखकर न सिर्फ अपनी अपरिपक्वता का परिचय दे रहा है, बल्कि इसके भ्रष्टाचार और मनमानी को भी बढ़ावा देने में अपना पूरा समर्थन जाहिर कर रहा है.

डीआरएम ने एससी/एसटी, ओबीसी, आरपीएफ एसो. को नहीं दी एफसी से मिलने की इजाजत

गुवाहाटी : हाल ही में फाइनेंस कमिश्नर, रेलवेज (एफसी/रेलवेज) एस. मुखर्जी ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का अधिकारिक दौरा किया था. इस मौके पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय में सभी मान्यताप्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे सदभावना भेंट करके उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे थे. इनमें ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन सहित दोनों श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. इस मौके पर मुख्यालय में ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन ने भी अपने ज्ञापन एफसी श्री मुखर्जी को दिए थे.

वर्तमान एफसी/रेलवेज एस. मुखर्जी चूंकि तिनसुकिया मंडल, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक रह चुके थे, इसलिए इस मौके पर उन्होंने तिनसुकिया मंडल मुख्यालय का भी दौरा किया. परंतु तिनसुकिया मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रशांत मिश्रा ने वहां सिर्फ दोनों मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को ही श्री मुखर्जी से मिलने और उन्हें ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी. जबकि इस मौके पर मंडल मुख्यालय में एससी/एसटी एसोसिएशन, ओबीसी एसोसिएशन और आरपीएफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को श्री मुखर्जी से मिलने और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अपने ज्ञापन सौंपने की अनुमति मंडल रेल प्रबंधक की तरफ से नहीं दी गई. इससे नाराज एससी/एसटी एसोसिएशन ने मंडल रेल प्रबंधक पर कई आरोप लगाते हुए तिनसुकिया रेलवे स्टेशन सहित मंडल मुख्यालय में कई जगह उनके विरोध में पोस्टर लगाए और डीआरएम मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए.

एससी/एसटी एसोसिएशन ने पोस्टर में डीआरएम के खिलाफ कहा है कि उन्हें एससी/एसटी एसोसिएशन को अपमानित करने का अधिकार कहां से मिला? एससी/एसटी एसोसिएशन और इसके कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दास्त नहीं किया जाएगा. एससी/एसटी विरोधी डीआरएम प्रशांत मिश्रा होश में आओ, होश में आओ. एससी/एसटी एसोसिएशन से दुर्व्यवहार करना बंद किया जाए. कार्यालय परिसर में सिगरेट पीना बंद करो. एससी/एसटी एसोसिएशन को दिग्भ्रमित करना बंद करो. प्रशांत मिश्रा हाय हाय.. आदि नारे इस पोस्टर में प्रमुखता से लिखे गए हैं.

ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जोनल जनरल सेक्रेटरी बिमल दास से जब 'रेलवे समाचार ने इस बारे में संपर्क किया और उनसे तिनसुकिया मंडल में आरपीएफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को एफसी से नहीं मिलने देने का कारण पूछा, तो इस पर श्री दास का कहना था कि मुख्यालय में तो हम सब पदाधिकारी एफसी से मिले और उन्हें अपनी शुभकामनाओं के साथ ज्ञापन भी सौंपा, मगर तिनसुकिया मंडल में डीआरएम ने यह कहते हुए आरपीएफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को एफसी से मिलने की इजाजत नहीं दी कि आरपीएफ एसोसिएशन मान्यताप्राप्त नहीं है. उन्होंने बताया कि डीआरएम ने यह भी कहा कि एफसी से मिलने की इजाजत सिर्फ उसी संगठन को दी जा सकती है जिसके साथ प्रशासन की पीएनएम होती है. श्री दास का कहना था कि आरपीएफ एसोसिएशन को भी पीएनएम का अधिकार प्राप्त है और यह 'प्रेम ग्रुप' का सदस्य भी है, यदि प्रशासन खुद ही आरपीएफ एसोसिएशन के साथ पीएनएम बैठक नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आरपीएफ एसोसिएशन को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है?

डॉक्टरों के घरों पर सीबीआई के छापे, 1.60 करोड़ नकद बरामद...

पेज 1 का शेष... आरोपियों के पास से कुल 1.60 करोड़ रुपए की नकदी सहित संपत्ति एवं निवेश से संबंधित तमाम निजी और सरकारी कागजात तथा फाइलें बरामद हुई हैं. सीबीआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ भ.दं.वि. की धाराओं 120-बी, 409, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2012-14 के दरम्यान मंडल रेलवे अस्पताल, उत्तर रेलवे, चारबाग, लखनऊ में उक्त आरोपियों द्वारा ऐंटी कैंसर मेडिसिन्स की लोकल परचेज में बड़े पैमाने पर घालमेल किया गया था. उत्तर रेलवे विजिलेंस की आतंरिक जांच में इन महंगी दवाईयों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी. इसके बाद विजिलेंस ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने सीनियर डीएमओ डॉ. सुनीता गुप्ता के घर से 1.60 करोड़ रुपए की नकदी और तमाम प्रॉपर्टी एवं निवेश संबंधी कागजात बरामद किए हैं. इसके अलावा सीबीआई जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उक्त मेडिसिंस की संदिग्ध खरीद में करीब 2.94 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई थी, जिसके लिए उपरोक्त आरोपियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था.

'रेलवे समाचार' को अपने सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे अस्पताल, चारबाग के तत्कालीन सीएमएस डॉ. बंसल, एसीएमएस एवं स्टोर्स इंचार्ज डॉ. राकेश गुप्ता और सीनियर डीएमओ डॉ. सुनीता गुप्ता ने सरकारी तिजोरी में सेंध लगाने के लिए उक्त ऐंटी कैंसर मेडिसिंस की संपूर्ण खरीद वास्तव में कागज पर ही की थी. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कागजी खरीद और कागजी मरीज तथा कागजी वितरण आदि सब कुछ सिर्फ कागज पर ही किया गया था, क्योंकि न तो कोई मेडिसिन अस्पताल को सप्लाई हुई थी, न ही किसी मरीज को यह दी गई थी, क्योंकि अस्पताल में ऐसे कोई मरीज थे ही नहीं. उन्होंने इसमें फार्मासिस्ट एस. एस. मिश्रा एवं अटेंडेंट ताराचंद को भी अपना भागीदार बनाया था. हालांकि सीबीआई ने करीब तीन करोड़ का ही मामला बताया है, मगर सूत्रों का कहना है कि यह घोटाला कुल लगभग पांच से छह करोड़ रुपए का था.

सूत्रों का कहना है कि विजिलेंस ने इस मामले की काफी गहराई से जांच की थी. इसी जांच के बाद उपरोक्त सभी लोगों को दोषी पाया गया था और तब इन सभी का ट्रांसफर अन्यत्र कर दिया गया था. सूत्रों का कहना है कि डॉ. राकेश गुप्ता और डॉ. सुनीता गुप्ता को तब कालका स्थित उत्तर रेलवे अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था, मगर काफी दिनों तक इन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया और बाद में दोनों ने अंदरूनी सेटिंग करके अपनी पोस्टिंग आरसीएफ, रायबरेली में करवा ली थी.

सूत्रों ने यह भी बताया कि डॉ. राकेश गुप्ता, डॉ. सुनीता गुप्ता, डॉ. सीमा गुप्ता और एक अन्य डॉ. हक की पहली नियुक्ति चारबाग रेलवे अस्पताल में बतौर रिलीवर डॉक्टर हुई थी, मगर सीएमएस एवं उसके ऊपर के मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते वास्तव में इन चारों ने कभी रिलीविंग ड्यूटी नहीं की है. इनकी जगह पर अन्य हेल्थ यूनिटों से दूसरे सीनियर डॉक्टरों को बतौर रिलीवर भेजा जाता था. बताते हैं कि इस पर एक बार विवाद इतना बढ़ गया था कि कुछ सीनियर डॉक्टर प्रशासन के खिलाफ कैट में भी पहुंच गए थे. फिलहाल एक अन्य डॉ. दीक्षित के खिलाफ भी आरपीएफ की मेडिकल जांच में की गई गड़बड़ी का मामला चल रहा है.

यह शायद पहला मामला है जब रेलवे के डाक्टरों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है. जबकि पूर्व रेलवे में इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल मशीनों और दवाईयों की अनावश्यक खरीद हुई थी. मालदा मंडल के रेलवे अस्पताल में करीब 12 करोड़ के खर्च पर माड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था, जिसकी वहां आज कोई कीमत नहीं है, जबकि इसी अस्पताल के लिए लगभग बीसों करोड़ की महंगी मेडिकल मशीनों की भी खरीद की गई थी, जो कि आज धूल खा रही हैं. यह मामला भी सीबीआई को सौंपा गया था, मगर इस मामले में सीबीआई, कोलकाता ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

पूरी भारतीय रेल में डीआरएम, जीएम और बोर्ड मेंबर्स जैसे बड़े अधिकारियों तथा मान्यताप्राप्त रेल संगठनों के कुछ बड़े पदाधिकारियों को घर-पहुंच सेवा उपलब्ध करवाकर हजारों रेलवे डॉक्टर्स अपनी पूरी सर्विस एक ही अस्पताल या हेल्थ यूनिट में जमे रहकर एक ही जगह कर रहे हैं. इससे रेलवे मेडिकल विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. 'रेलवे समाचार' ने विगत में ऐसे कई बड़े मामले उजागर किए हैं, परंतु बड़े अधिकारियों और यूनियन पदाधिकारियों के साथ साठ-गांठ के चलते न तो रेलवे डॉक्टर्स का पीरियोडिकल ट्रांसफर किया जा रहा है, और न ही संवेदनशील पदों से इन्हें एक निश्चित समयांतराल पर हटाया जा रहा है. जबकि सीवीसी और रेलवे बोर्ड विजिलेंस के दिशा-निर्देश इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं, जो कि मेडिकल विभाग पर भी लागू हैं. तथापि, ऊपरी साठ-गांठ के चलते इस मामले में सभी संबंधित लोग अपना-अपना हिस्सा-बांट करने में लगे हुए हैं.

सीबीआई ने 41 टिकट चेकिंग स्टाफ के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

- ड्यूटी में न रहते हुए भी इशू कराई ईएफटी और वसूल किया यात्रियों से जुर्माना
- यूनियन के होश उड़े, रेलवे बोर्ड परेशान, सीसीएम को ट्रांसफर कराने का बनाया जा रहा है दबाव

चेन्नई : 11 जुलाई की रेल हड़ताल की भारी गहमागहमी के बीच पिछले हफ्ते सीबीआई, चेन्नई जोन की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) ने चेन्नई मंडल, दक्षिण रेलवे के 41 टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के खिलाफ आपराधिक साजिश, विश्वासघात, फोर्जरी और भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून की कुल सात धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है. इसके चलते जहां सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन (एसआरएमयू) के होश उड़ गए हैं, वहीं इससे रेलवे बोर्ड भी परेशान हो उठा है और अब इसकी वजह से रेलवे बोर्ड पर दक्षिण रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) को ट्रांसफर कराने का दबाव एसआरएमयू के महामंत्री और एआईआरएफ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बनाया जा रहा है. जबकि इसी मामले में ट्रांसफर हुए रेलकर्मियों और यूनियन को कैट में दायर याचिका सहित अन्य तमाम कोशिशों पर भी अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है.

हालांकि सीबीआई, चेन्नई जोन ने यह एफआईआर किसकी शिकायत पर दर्ज की है, इस बात को गोपनीय रखा है, मगर जिन 41 टीटीई के विरुद्ध यह एफआईआर दर्ज की गई है, उनके नाम अवश्य उजागर कर दिए हैं. इन टीटियों पर आरोप है कि इन्होंने अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2015 के मध्य में दक्षिण रेलवे के चेन्नई और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों से पैसे की वसूली की थी. एक आंतरिक विभागीय जांच में ऐसी तमाम अनियमितताएं पाए जाने पर पिछले साल 1 जुलाई को वाणिज्य विभाग ने सभी टीटियों का पीरियोडिकल ट्रांसफर कर दिया था. मगर उनमें से इन 41 टीटियों ने कथित तौर पर यूनियन के कहने पर ट्रांसफर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था, बल्कि इसके चलते यूनियन ने सीनियर डीसीएम, चेन्नई मंडल वी. रविचंदर का ही ट्रांसफर करा दिया था, जिन्हें तब नव-नियुक्त सीसीएम ने उनकी जगह पर बहाल करवाया था. तथापि, इन सभी 41 टीटियों को बेटिकट यात्रियों से किसी प्रकार का जुर्माना वसूलने के अयोग्य ठहराया गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी निर्धारित जगह पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी और ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहे थे. तथापि, वह अनधिकृत रूप से ईएफटी इशू करवाकर यह कार्य कर रहे थे. इनमें से ज्यादातर टीटीई यूनियन के पदाधिकारी बताए गए हैं. इसके अलावा इन्हें ईएफटी जारी करने वाले ऑफिस स्टाफ भी यूनियन के पदाधिकारी बताए गए हैं. बताते हैं कि इन टीटियों को जिन मेल/एक्स. ट्रेनों में ऑन बोर्ड ड्यूटी के लिए लगाया गया था, वह वहां अपनी ड्यूटी करने के बजाय विभागीय ऑर्डर को न मानते हुए चेन्नई सेंट्रल स्टेशन और आसपास के अन्य स्टेशनों पर बतौर स्क्वाड टीटीई अनधिकृत रूप से काम करके यात्रियों से पैसा (फाइन) वसूल कर रहे थे. इनका यह कृत्य रेलवे के नियमों के विरुद्ध था. इसी वजह से ऐसे सभी टीटीई सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं. अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि यह टीटीई यात्रियों से जुर्माना वसूलने के लिए वास्तविक ईएफटी (एक्स्ट्रा फेयर टिकट) बुक का इस्तेमाल कर रहे थे अथवा इसके लिए उन्होंने फर्जी या डुप्लीकेट ईएफटी बुक्स का उपयोग किया था. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को इनके द्वारा डुप्लीकेट ईएफटी के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली है.

उल्लेखनीय है कि पिछली एक पीएनएम मीटिंग में यूनियन ने इस बात को मीटिंग के रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था कि 'इन 41 टीटीई ने बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के यात्रियों से फाइन जमा किया था.' यूनियन ने यह मांग करते हुए और लगभग दबाव डालकर रिकॉर्ड में यह भी दर्ज करवाया था कि 'इन टीटियों ने जो फाइन जमा किया है, उसे संबंधित यात्रियों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि यह अनुचित तरीके से जमा किया गया था.' प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त मामले के अलावा सीबीआई द्वारा अनधिकृत रूप से इमरजेंसी कोटा जारी किए जाने की भी जांच की जा रही है. पता चला है कि यूनियन पदाधिकारियों द्वारा अन्य तमाम विभागों के अधिकारियों को अपने प्रभाव में बनाए रखने के लिए अनधिकृत रूप से प्रतिदिन हजारों बर्थें इमरजेंसी कोटे के तहत दिलाई जा रही थीं. सीसीएम द्वारा इस पर लगाम लगाए जाने से अब प्रति दिन करीब तीन हजार सीटें/बर्थें सर्वसामान्य यात्रियों को उपलब्ध हो रही हैं.

उधर रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का का कहना है कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर की सूचना एसआरएमयू और एआईआरएफ के शीर्ष नेतृत्व ने जैसे ही रेलवे बोर्ड के संबंधित मेंबर को दी गई, वैसे ही सबसे पहले उसके मुंह से यही निकला कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने यह शिकायत सीबीआई को दी है? सूत्रों का कहना है कि इसके बाद इससे बचने के उपायों पर चर्चा हुई और इसके तहत किसी प्रकार सीसीएम, दक्षिण रेलवे को ट्रांसफर करने का रास्ता तलाशा जाने लगा है. सूत्रों ने यह भी बताया कि इस दरम्यान एसआरएमयू के महामंत्री को लेकर एआईआरएफ का शीर्ष नेतृत्व संबंधित बोर्ड मेंबर से दो-तीन बार मुलाकात कर चुका है. परंतु अब तक उन्हें सीसीएम को ट्रांसफर कराने में कामयाबी नहीं मिल पाई है.

सूचना की उपलब्धता हेतु एसआईएमएस सक्षम एवं प्रभावी प्रणाली है–सीएसओ/उ.म.रे.

इलाहाबाद ब्यूरो : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी (सीएसओ) एम. पी. सिंह ने 8 जुलाई को मुख्यालय अधिकारियों की उपस्थिति में 'सेफ्टी इनफर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम' (संरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली - एसआईएमएस) के बारे में पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया और इस प्रणाली के बारे में सभी को अवगत कराया. इस अवसर पर महाप्रबंधक अरुण सक्सेना, अपर महाप्रबंधक यतीन्द्र पाल सिंह सहित सभी अन्य विभाग प्रमुख भी उपस्थित थे. 'क्रिस' द्वारा विकसित की गई यह तकनीकी सूचना प्रणाली वर्ष 2006 से ही भारतीय रेल में लागू है.

सीएसओ एम. पी. सिंह ने बताया कि दुर्घटना के पश्चात सूचना की उपलब्धता सहज-सरल एवं भारतीय रेल के सभी मंडलों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रणाली बहुत सक्षम एवं प्रभावी है. श्री सिंह ने कहा कि घायल, हताहत यात्रियों के विवरण के साथ हेल्प लाइनों की जानकारी भविष्य में आम नागरिकों को इसके माध्यम से हो सकेगी. उन्होंने कहा कि दुर्घटना से संबंधित सभी विवरण, जैसे दुर्घटना का प्रकार, क्षेत्र, कारण, जांच रपट, जिम्मेदार कर्मचारी, उपकरण विफलता इत्यादि, प्रशासनिक विश्लेषण, निवारात्मक, सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उपलब्ध हैं. दोषी कर्मचारियों को दिया गया दंड एवं जांच समिति द्वारा सुझाई गई संस्तुतियां भविष्य में दुर्घटनाएं रोकने में मददगार होंगी. इस मौके पर महाप्रबंधक एवं उपस्थित विभाग प्रमुखों ने प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुए इसको और उपयोगी-प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव भी दिए. यह प्रणाली भारतीय रेल को दुर्घटनाओं के विश्लेषण एवं रोकथाम में अत्यधिक सहायक है. इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक राजेश तिवारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. डी. के. त्रिपाठी, सीएसटीई मनमोहन गढ़वाल, मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. राजीव कपूर, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/ट्रैफिक राजेश कुमार, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी यांत्रिक राजेश कुमार जाटव, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/ बिजली रामसूरत सिंह, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/सिग्नल भोलेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद थे.

उ.म.रे. में पहली बार 'अपर महाप्रबंधक पुरस्कार' समारोह का आयोजन

इलाहाबाद ब्यूरो : उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के अरावली सभाकक्ष में 8 जुलाई को पहली बार अपर महाप्रबंधक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया. भारतीय रेल में अपर महाप्रबंधक स्तर के पुरस्कार दिए जाने की यह शायद पहली शुरुआत है. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक वाई. पी. सिंह ने बताया कि पालघाट मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्य करते हुए उन्हें इसकी प्रेरणा दक्षिण रेलवे के तत्कालीन अपर महाप्रबंधक से मिली थी. उन्होंने कहा कि यह शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे के लिए नई परंपरा और प्रेरणा का स्रोत होगी. श्री सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाले रेलकर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करने एवं इसकी निरंतरता बनाए रखने के प्रति आशा व्यक्त की.

इस पुरस्कार समारोह में उत्तर मध्य रेलवे के कुल 48 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपर महाप्रबंधक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया. समारोह में मुख्य संरक्षा अधिकारी एम. पी. सिंह, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी जे. पी. पांडेय, मुख्य कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश, मुख्य कारखाना इंजीनियर डी. के. नायक, मुख्य सुरक्षा आयुक्त एस. के. सिंह, मुख्य चिकित्सा निदेशक राजीव कपूर आदि विभाग प्रमुख सहित अपर महाप्रबंधक के निजी सचिव अमित जायसवाल भी उपस्थित थे.

समारोह में अपर महाप्रबंधक वाई. पी. सिंह ने उत्तर मध्य मध्य रेलवे के वरिष्ठ सहायक उप महाप्रबंधक आर. एस. मिश्रा, राहुल शुक्ला, सहायक मण्डल यांत्रिक, डीजल लोको शेड झांसी, राहुल चौधरी, सहायक उत्पादन अभियंता, वैगन मरम्मत कारखाना झांसी, रामेश्वर प्रसाद तोमर, सहायक सुरक्षा आयुक्त, झांसी, आशुतोष कुमार, मुख्य प्रोटोकाल इंस्पेक्टर, पंकज राज कनौजिया, वरिष्ठ लिपिक, अनिल कुमार पटेल, मुख्य कार्य अध्ययन निरीक्षक, विकास यादव, सतर्कता निरीक्षक, श्रीमती सुषमा पांडेय, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, वाणिज्य-सह-जनसंपर्क निरीक्षक, झांसी प्रदीप सुडेले आदि को अपर महाप्रबंधक पुरस्कार प्रदान किया. कार्यक्रम का संचालन रमाशंकर मिश्र, डिप्टी सेक्रेटरी/पीजी एवं अमित जायसवाल निजी सचिव ने किया.

कौशल विकास हेतु इलाहाबाद मंडल द्वारा निजी क्षेत्र के साथ करारनामा

महाप्रबंधक अरुण सक्सेना एवं मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज की उपस्थिति में करारनामे पर हस्ताक्षर करते हुए इलाहाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार द्विवेदी एवं आईसीए एजूकेशनल स्किल प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर सचिन कुमार.

इलाहाबाद. भारत सरकार की कौशल विकास नीति के तहत देश से बेरोजगारी को दूर करने एवं युवावर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का मौका देने की दृष्टि से उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद मंडल विशेष प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में इलाहाबाद मंडल में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु 8 जुलाई को महाप्रबंधक अरुण सक्सेना की उपस्थिति में इलाहाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अनिल कुमार द्विवेदी एवं आईसीए एजूकेशनल स्किल प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर सचिन कुमार ने एक करारनामे पर हस्ताक्षर किया.

यह करारनामा दो वर्ष के लिए किया गया है, जिसकी अवधि 7 जुलाई 2018 तक होगी. इस योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में कम्प्यूटर ट्रेनिंग एवं तकनीकी ज्ञान आदि प्रदान किया जाएगा. यह स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर, सूबेदारगंज एवं मनोरंजन गृह, मिर्जापुर में प्रदान की जाएगी. इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पी. एस. बिष्ट सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे.

रे.बो. को जीएम पोस्टिंग की नहीं है कोई परवाह...

पेज 1 का शेष... इस दबाव में तब की गई है, जब गुवाहाटी से राजेन गोहेन को रेल राज्यमंत्री बना दिया गया है. जबकि 30 जून को और तीन महाप्रबंधकों के पद खाली हो गए हैं. इस तरह कुल 17 जोनल महाप्रबंधकों में से 8 महाप्रबंधकों के पद आज की तारीख में भी खाली हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले छह महीनों से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी के महाप्रबंधक का पद खाली था, जो कि मोहम्मद जमशेद के रेलवे बोर्ड में मेंबर ट्रैफिक बन जाने से जनवरी में खाली हुआ था. इसके अलावा 31 जनवरी को आर. के. गुप्ता के रिटायर होने के बाद से पूर्व रेलवे, कोलकाता के महाप्रबंधक का पद खाली पड़ा है. इसके बाद आरसीएफ, रायबरेली के महाप्रबंधक का पद भी खाली हुए करीब तीन महीने हो रहे हैं. जबकि 31 मई को आदित्य कुमार मित्तल के रेलवे बोर्ड में मेंबर इंजीनियरिंग बनकर आने से पूर्व मध्य रेलवे और एस. के. सूद के सेवानिवृत्त होने से मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद खाली होकर लगभग दो महीने होने जा रहे हैं. इससे पहले मेट्रो रेलवे, कोलकाता के जीएम का पद भी ए. के. कपूर के रेलवे बोर्ड में मेंबर इलेक्ट्रिकल बन जाने से खाली हो चुका था.

अब 30 जून को ए. के. अग्रवाल, पंकज जैन और ए. के. सक्सेना के सेवानिवृत्त होने से क्रमशः आईसीएफ, चेन्नई, आरडब्ल्यूएफ, येलाहांका, बंगलौर और दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली के तीन और महाप्रबंधकों के पद खाली हो गए हैं. तीन-तीन महीनों के लिए आईसीएफ एवं द.प.रे. का अतिरिक्त कार्यभार क्रमशः दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक वशिष्ठ जौहरी एवं रवीन्द्र गुप्ता को तथा आरडब्ल्यूएफ का कार्यभार मजबूरी में नायर/वड़ोदरा के डीजी राजीव गुप्ता को सौंपना पड़ा है. मजबूरी में इसलिए क्योंकि आरडब्ल्यूएफ के आसपास के सभी जीएम पहले से ही अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं. इसलिए श्री गुप्ता को वड़ोदरा से बंगलौर तब तक लेफ्ट-राइट करना पड़ेगा, जब तक कि रेलवे बोर्ड की मेहरबानी से उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिलता अथवा नए महाप्रबंधकों की पोस्टिंग नहीं हो जाती. बाकी जीएम का कार्यकारी कार्यकाल भी इसी तरह तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है.

विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां एक तरफ 31 मार्च को पुराना जीएम पैनल समाप्त होने के तीन महीने बाद भी नया जीएम पैनल (वर्ष 2016-17) अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ पुराने जीएम पैनल (वर्ष 2015-16) से प्रस्तावित अधिकारियों की जीएम पद पर पोस्टिंग का अंतिम निर्णय लेने में भी रेलवे बोर्ड अब तक समर्थ नहीं हो सका है. जबकि बताते हैं कि एसीसी ने उनकी पोस्टिंग को बहुत पहले ही अपनी संस्तुति दे दी थी. इस विषय में प्रतिक्रिया पूछने पर कई जानकारों ने 'रेलवे समाचार' से कहा कि 'ऐसा लगता है कि सीआरबी को जीएम की पोस्टिंग कराने में कोई रुचि नहीं है, वह सिर्फ जीएम पैनल फाइनल करवाकर और अपने कुछ नजदीकियों को फिट करके सिंपली रिटायर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी महीने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले सीआरबी कैट और पीएसईबी में अपनी पोस्टिंग नहीं हो पाने से शायद काफी निराश हैं, इसीलिए अब उनका समस्त कामकाज से मन हट गया है.'

हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि शुक्रवार, 17 जून को जीएम पद के योग्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों की डीपीसी संपन्न हो गई थी, तथापि रेलवे बोर्ड द्वारा नया जीएम पैनल अब तक डीओपीटी से फाइनल नहीं कराया जा सका है. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इसके बावजूद कुछ वर्तमान और कुछ भावी जीएम का एक समूह 15 जुलाई के आसपास 15-20 दिनों के लिए विदेश भ्रमण पर जा रहा है, जबकि यहां अभी भी आठ प्रमुख इकाईयों में महाप्रबंधकों के पद खाली पड़े हैं. ऐसे में बाकी बचे 8 जीएम भी यदि विदेश चले जाते हैं, तब उनका कार्यभार कौन वहन करेगा? जानकारों का कहना था कि शायद इसीलिए पुरानी परंपरा और वैधानिक स्थिति को नजरअंदाज करके एडीशनल जीएम को जीएम का अतिरिक्त चार्ज सौंपे जाने की गलत और गैर-कानूनी परंपरा शुरू की गई है? इसके अलावा एक तरफ ओपन लाइन में प्रॉपर पोस्टिंग के लिए दिए गए एच. के. जग्गी के ज्ञापन पर अब तक बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो दूसरी तरफ मुंबई हाई कोर्ट में चल रहे मामले को भी जल्दी निपटाने और एम. के. गुप्ता की जीएम में पोस्टिंग करने में कोई खास रुचि नहीं ली जा रही है.

जानकारों का यह भी कहना है कि रेलवे की वर्तमान स्थिति यह है कि जोनल रेलों और मंडलों में पदस्थ तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीआरबी या रेलमंत्री में से भारतीय रेल अथवा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को कौन नियंत्रित कर रहा है? उनका कहना है कि यहां जो काम पहले जरुरी है, वह नहीं हो रहा है, मगर सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व एमई जैसे चापलूस और जोड़तोड़ करने वाले को एडजस्ट करने में सारी ऊर्जा लगाई जा रही है. उनका कहना था कि पहले रेलमंत्री ने स्वयं पूर्व एमई को अपना सलाहकार नियुक्त किए जाने का नोट सीआरबी को दिया था, मगर उसे साइड में रखकर सीआरबी विदेश भ्रमण पर चले गए और जब वापस आए तो उन्होंने पूर्व एमई को रेलमंत्री का एडवाइजर नियुक्त करने के बजाय एक तथाकथित सिंगल पर्सन कमेटी का कथित चेयरमैन बनाकर समस्त सुविधाओं सहित डीएफसी में बैठा दिया.

उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का भारतीय रेल के विकास या निर्माण में आज तक कोई बुनियादी अथवा कामकाजी योगदान नहीं रहा और जिसका पूरा कार्यकाल चापलूसी, जोड़तोड़ और भ्रष्टाचार करने में बीता, उसके लिए इतनी ममता रेलमंत्री या सीआरबी में क्यों और कैसे पैदा हो गई? क्या इसके लिए कोई राजनीतिक दबाव या गठजोड़ किया गया है, अथवा पार्टी फंड की उगाही में मदद के लिए पूर्व एमई को यह तमाम सुविधा उनकी सेवानिवृत्ति के दस दिन बाद मुहैया कराई गई है? जबकि सीआरबी और रेलमंत्री में से किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इरकॉन के अधिकारियों की उदासीनता या अंदरूनी खींचतान के चलते वह मलेसिया में करीब 1.6 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गंवाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेलवे के सभी पीएसयू हेड स्वतंत्र हैं, रेलवे बोर्ड का उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.

उनका यह भी कहना है कि डीआरएम पैनल पर भी कोई स्पष्टता या पारदर्शिता अब तक नहीं आ पाई है, क्योंकि सक्षम एवं योग्य अधिकारियों के एम्पैनल्मेंट और उनकी पोस्टिंग की स्थिति अब तक पूरी तरह अंधकार में है. एससीसी के बार-बार कहने के बावजूद रेलवे बोर्ड ने अब तक जीएम और डीआरएम पैनल अपनी वेबसाइट पर डालना शुरू नहीं किया है. जो डीआरएम पैनल वेबसाइट पर डाला जा रहा है, वह अधिकारियों की सिर्फ एक सूची मात्र है, क्योंकि उस पर किसी अधिकृत अथॉरिटी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे उसकी कोई वैल्यू नहीं है. उल्लेखनीय है कि पिछली डीआरएम पोस्टिंग में जानबूझकर दरकिनार किए गए पश्चिम मध्य रेल के इंजीनियरिंग अधिकारी सोनकर ने अपने प्रति हुए अन्याय के लिए एससी/एसटी आयोग में रेलवे बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. जबकि उक्त पैनल में पांच अधिकारियों के नाम किसने जोड़ा, जो पहले से पैनल में नहीं थे, उनकी पोस्टिंग किसकी शह पर की गई, इस मामले में कितना भ्रष्टाचार हुआ और यह सब किसने किया? यह भी अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है. इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों ने 'रेलवे समाचार' से कहा कि जब डीओपीटी एक साल के लिए किसी अधिकारी को एडीशनल सेक्रेटरी बनाने को तैयार हो सकता है, तो जिनका कार्यकाल एक-डेढ़ साल भी बाकी रह गया हो, ऐसे सभी योग्य अधिकारियों को भी जीएम पद पर काम करने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएम पैनल तथा जीएम पोस्टिंग के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा बरती जाने वाली अति-गोपनीयता को भी फौरन समाप्त किया जाना चाहिए, जैसा कि एसीसी ने पहले ही कहा है. इन अधिकारियों का मानना है कि जीएम पद पर पोस्टिंग में भी सीनियरिटी या सुटेबिलिटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उनका कहना था कि मगर यह सब तभी हो पाएगा, जब सीआरबी के पद पर कोई सक्षम और योग्य अधिकारी हो तथा रेलमंत्री के सलाहकारों में कुछ समझदार लोग शामिल हों.

'स्किल एनसीआर' थीम पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पर कार्यशाला

प्रधानमंत्री की 'स्किल इंडिया' के तहत 'स्किल एनसीआर' थीम को विकसित करने हेतु उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में अरुण सक्सेना, महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने कहा कि फील्ड स्टाफ को अनुरक्षण, दोष निवारण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की प्रोग्रामिंग हेतु स्किल विकसित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे में भारतीय रेल की सबसे ज्यादा 130 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अभी तक लगाई जा चुकी है. महाप्रबंधक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली सुदृढ़ तथा आकाशीय बिजली प्रतिरोधी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में आकाशीय बिजली के कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की क्षति के कुछ प्रकरण सामने आए हैं. मनमोहन गढ़वाल, मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, अनिल कुमार मिश्रा, मुख्य सिगनल इंजीनियर, नवीन तलवार, मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/परियोजना एवं उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय तथा मंडल के अन्य अधिकारीगण भी कार्यशाला में सम्मिलित हुए.

रेल भवन में भारतीय रेल के 'एकाउंटिंग रिफॉर्म्स' पर एग्जीक्यूटिव समरी बुक जारी करते हुए फाइनेंस कमिश्नर/रेलवे संजय मुखर्जी एवं रेलवे बोर्ड एवं जोनल रेलों में कार्यरत रेलवे एकाउंट्स के वरिष्ठ अधिकारीगण.

रेलमंत्री से मतभेद के चलते संजय मुखर्जी...

पेज 1 का शेष... संबंधी आंकड़ों में हेराफेरी करवाने के तौर-तरीके से असहज महसूस कर रहे थे. यहां तक कि फरवरी में संसद में पेश किए गए रेल बजट की असंगत आंकड़ेबाजी से भी वह सहमत नहीं थे. उनका कहना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से लिए गए डेढ़ लाख करोड़ रुपए के कर्ज और करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा करने के निज़ाम के निर्णय से श्री मुखर्जी पूरी तरह से असहमत हैं. इसके अलावा एलआईसी से अब तक मिले 30 हजार करोड़ रुपए के असंगत एवं अविवेकपूर्ण आवंटन (एलोकेशन) पर भी उनकी असहमति रही है. उन्होंने बताया कि श्री मुखर्जी का मानना है कि जब रेलवे की आमदनी नहीं बढ़ रही है और गत वित्तवर्ष की दूसरी छमाही (1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016) सहित चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही (1 अप्रैल से 30 जून 2016) में भी रेलवे के कार्य-निष्पादन में लगातार आई गिरावट के साथ आमदनी नहीं बढ़ी है, ऐसे में लाखों करोड़ रुपए के बड़े देशी-विदेशी कर्ज लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आखिर उसे चुकाना तो रेलवे को ही पड़ेगा.

जानकारों का यह भी कहना है कि हालांकि कर्ज लेने-देने का निर्णय राजनीतिक होता है, परंतु उसके औचित्य-अनौचित्य को देखना नौकरशाही का काम होता है. उनका कहना है कि आंकड़ों के बियाबान में हमेशा अपना मुंह घुसाए रखने वाले शुतुरमुर्ग को इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता है, कि नदी बह रही है, या सूख गई, क्योंकि वह जमीन (यहां पढ़ें - आंकड़ों) में अपना मुंह छिपाए रखकर भी हमेशा यही मानकर चलता है कि नदी लगातार बह रही है. परंतु आजकल रेलवे में तो स्थिति यह है कि इसके वर्तमान निज़ाम द्वारा नदी को उफनाया हुआ मानकर काम किया जा रहा है और फर्जी आंकड़ों पर आधारित ई-बुक बनाकर तथा हवा-हवाई प्रचार तंत्र की बदौलत पूरे देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा है.

उनका कहना है कि निज़ाम को तो रेलवे की कोई जमीनी हकीकत का पता नहीं है, और न ही इस बारे में वह कुछ जानना चाहता है, वह तो किसी के बोलने से पहले ही 'मैं-मैं' करने लगता है, जिसका मतलब यह होता है कि उसे सब मालूम है, जबकि वास्तव में उसे आंकड़ों के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है. उनका यह भी कहना है कि इससे बदतर हाल निज़ाम के स्तरहीन सलाहकारों की समझ का है. उन्होंने 'रेलवे समाचार' को बताया कि एफसी संजय मुखर्जी ने बकायदे फाइल पर लिख दिया है कि रेलवे की घटती आमदनी को देखते हुए किसी प्रकार का कर्ज लेना सही नहीं होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा पहले भी कई एफसी लिख चुके हैं, क्योंकि वह किसी राजनीतिक निर्णय का मोहरा नहीं बनना चाहते थे. उन्होंने यह भी कहा कि जब इस प्रकार के वित्तीय मामलों पर चर्चा होती है, तब एफसी को छोड़कर रेलवे बोर्ड के अन्य सभी मेंबर मूक-बधिर बन जाते हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान रेलवे बोर्ड की हालत तो किसी मूक-बधिर वनचर से भी बदतर हो गई है.

रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हाल ही में इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के प्रबंध निदेशक पद के लिए एसीसी द्वारा जिस अधिकारी का चयन किया था, निज़ाम ने उसे नकार दिया है. इस चयन बोर्ड में एफसी संजय मुखर्जी भी शामिल थे. सूत्रों का कहना है कि खुद को सबसे बड़ा वित्तीय विशेषज्ञ मानने वाले वर्तमान निज़ाम ने उक्त अधिकारी को एक दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया और बाद में फाइल पर उसके चयन को रद्द करके उक्त फाइल एसीसी को भेज दी. जानकारों का कहना है कि एसीसी एक संवैधानिक संस्था है, उसके चयन के बाद किसी निज़ाम द्वारा किसी अधिकारी का साक्षात्कार लेकर उसके चयन को रद्द कर देना नियमानुसार अनुचित है. तथापि, पूरा रेलवे बोर्ड अपना मुंह सिलकर रेलवे की बरबादी में निज़ाम का भागीदार बना हुआ है. सूत्रों का कहना है कि उक्त फाइल फिलहाल एसीसी के पास पेंडिंग पड़ी हुई है.

उनका कहना है कि इन तमाम विसंगतियों और व्यवहार एवं निर्णय में विरोधाभाष के चलते एक दिन एफसी ने निज़ाम से अपनी असहमत जता दी, जिस पर निज़ाम ने उन्हें इस्तीफा देकर चले जाने को कह दिया. अतः 'बाबू मोशाय' अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हेतु वीआरएस लेकर समय से पहले रेलवे को अलविदा कहकर जा रहे हैं. श्री मुखर्जी के इस तरह जाने से रेलवे के तमाम अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त है. इसका विपरीत परिणाम आने वाले दिनों में निज़ाम को देखना पड़ सकता है. इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अपनी बहुत स्पष्ट टिप्पणी करते हुए लिखा है कि..

"We can write another maybe.. maybe.. but he (FC) is being pressurized to cook the books by the current minister so that the Railways growth story mirrors the fake GDP stories..!"

इस व्यक्ति ने अपनी इन दो लाइनों में ही रेलवे के वर्तमान निज़ाम के व्यवहार और उसकी कार्य-कुशलता के संबंध में सब कुछ बयां कर दिया है.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

आय में वृद्धि और गैर-संरक्षा मदों के खर्च में कटौती की जाए -महाप्रबंधक

पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय पीओएम में महाप्रबंधक ने दिए विभिन्न दिशा-निर्देश

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की अध्यक्षता में प्रमुख अधिकारियों की बैठक (पीओएम) मुख्यालय, गोरखपुर में संपन्न हुई. बैठक में अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा सहित सभी विभाग प्रमुख और तीनों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक तथा मान्यताप्राप्त यूनियनों एवं एसोसिएशनों के पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने कहा कि उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रेलकर्मियों के वेतन एवं एरियर का भुगतान समय से करने हेतु पूरी तैयारी कर ली जाए.

महाप्रबंधक ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की पेंशन का पुर्ननिर्धारण पूरी तत्परता और समयावधि के अंतर्गत किया जाए. उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से रेलवे पर काफी आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसे संतुलित करने हेतु आय में बढ़ोत्तरी तथा गैर-संरक्षा मदों के खर्च में पर्याप्त कटौती की जानी चाहिए. उन्होंने आय बढ़ाने हेतु गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने तथा माल लोडिंग को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया. महाप्रबंधक ने कहा कि संरक्षा कोटि में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. रिक्त पदों को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से शीघ्र भरा जाए.

महाप्रबंधक श्री मिश्र ने यात्री सुख-सुविधा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न स्टेशनों के लिए स्वीकृत एस्केलेटर एवं लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं. उन्होंने निर्देश दिया कि वरिष्ठ रेल अधिकारी स्टेशनों, गाड़ियों एवं रेलवे कालोनियों की साफ-सफाई व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें. महाप्रबंधक ने निर्भया फंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने अनुपयोगी अनारक्षित समपारों को बंद करने तथा उपयोगी अनारक्षित समपारों को रक्षित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि दोहरीकृत रेल खंडों में गाड़ियों की गति बढ़ाई जाए, ताकि कम समय में यात्रियों का अपने गंतव्य पर पहुंचाया जा सके. उन्होंने रेलवे की खाली जगहों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा स्टाफ क्वार्टरों के रख-रखाव में गुणात्मक सुधार लाने का भी निर्देश दिया. बैठक में तीनों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों तथा विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुखों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने-अपने मंडलों एवं विभागों में किए गए विकासपरक कार्यों की समीक्षात्मक रपट प्रस्तुत की तथा लंबित कार्यों को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु महाप्रबंधक को अवगत कराया.

रेलकर्मियों के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल विकास केंद्र की स्थापना

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम मिश्र ने रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर में कौशल विकास केंद्र 'लावण्य' का 2 जुलाई को उदघाटन किया. रेल कर्मचारियों की बेटियों एवं आश्रित बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देष्य से पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा इस कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है. इस केंद्र में सौन्दर्य निखार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की सचिव श्रीमती कविता सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती संगीता अग्रवाल, संयुक्त सचिव श्रीमती श्रुतिका सिंह, प्रभारी शिशु सदन श्रीमती कविता अम्बिकेश, प्रभारी नरवो डिजनी वर्ल्ड स्कूल श्रीमती किरन राय सहित महिला कल्याण संगठन की सभी सदस्य उपस्थित थीं.

एक वर्ग विशेष के कर्मचारियों से घबराकर सीपीओ/उ.प.रे. कर्ण सिंह ने लिया वीआरएस

- रेलवे बोर्ड ने सीपीओ के रेफ्रेंस पर नहीं उठाया कोई कदम, आरक्षण बढ़कर हुआ 60-65%
- वर्ग विशेष के कर्मचारियों की भरमार से उ.प.रे. में नहीं जाना चाहता कोई सामान्य अधिकारी

जयपुर : उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के मुख्य कार्मिक अधिकारी कर्ण सिंह ने रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है और 5 जुलाई को अंतिम रूप से रेलवे को अलविदा कहकर जा रहे हैं. उनकी इस वीआरएस का अप्रत्यक्ष मगर पुष्ट कारण यह बताया जा रहा है कि चूंकि उ.प.रे. में एक वर्ग विशेष के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या न सिर्फ अधिक हो गई, बल्कि आरक्षण के चलते उनका प्रतिशत जोनल स्तर पर 60 से 65 हो गया है, जबकि जयपुर मंडल में यह प्रतिशत 70 को पार कर गया है. जबकि यहां अब स्थिति यह हो गई है कि यदि कोई कार्मिक या अन्य अधिकारी आरक्षण की संवैधानिक स्थिति के अनुसार काम करना चाहता है, तो एक आरक्षित वर्ग विशेष के कर्मचारी और अधिकारी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं. यहां तक कि उक्त अधिकारी के खिलाफ धरना-मोर्चा शुरू करके उसे आरक्षण का विरोधी करार देकर उसके खिलाफ बकायदे एक मुहिम शुरू कर दी जाती है.

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में सीपीओ कर्ण सिंह ने सर्वप्रथम सभी तथ्यों से जोनल प्रशासन को अवगत करवाया था, जब उसने कोई उचित कदम नहीं उठाया, तब उन्होंने इस मामले को गत वर्ष रेलवे बोर्ड को लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. परंतु रेलवे बोर्ड ने भी इस पर न तो कोई कदम नहीं उठाया, और न ही कोई जवाब देना जरूरी समझा. बताते हैं कि श्री सिंह ने इस मामले पर एक स्मरण पत्र लगभग दो महीने पहले पुनः रेलवे बोर्ड को लिखा था, फिर भी रेलवे बोर्ड ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की. कई कार्मिक अधिकारियों सहित कुछ जानकारों का भी यही कहना है कि रेलवे बोर्ड की इस भयानक उदासीनता के कारण ही सीपीओ कर्ण सिंह ने वीआरएस ली है, भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष में इसका कोई भी कारण दिया हो.

इसके अलावा इसी वर्ग विशेष के एक कार्मिक अधिकारी (पूर्व सीपीओ/आईआर) द्वारा अन्य जोनल रेलों और मंडलों में कार्यरत अपनी बिरादरी के अधिकांश रेलकर्मियों को इंटर रेलवे ट्रांसफर के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे में आने की प्राथमिकता दिए जाने से यहां सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है. इससे भी भारी असंतोष पनप रहा है. बताते हैं कि उसके इस पक्षपात के चलते विगत में उसकी बिरादरी के करीब दो-ढ़ाई हजार रेलकर्मी अन्य रेलों से उ.प.रे. में आए हैं. इन कर्मचारियों को अब जनरल में गिना जा रहा है. उसके इस कु-कृत्य से सामान्य वर्ग का रोस्टर ब्लॉक हो गया है. इसके चलते वर्ष 2014 से उ.प.रे. में इंटर रेलवे ट्रांसफर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं.

हाल ही में इस कार्मिक अधिकारी का तबादला पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में किया गया है. बताते हैं कि वर्ष 2011 में सहायक कार्मिक अधिकारियों के विभागीय चयन में इस कार्मिक अधिकारी ने कई कर्मचारियों से 3-3 लाख रुपए लेकर उनके मार्क्स बढ़ाए थे, विजिलेंस जांच में इसके सही पाए जाने पर सीवीसी ने उसके विरुद्ध मेजर पेनाल्टी चार्जशीट (एसएफ-5) की सिफारिश की थी, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते रेल प्रशासन ने उसे माइनर पेनाल्टी चार्जशीट (एसएफ-11) देकर बाद में मामले को रफादफा कर दिया था. इस भ्रष्ट कार्मिक अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है.

Actual working cadre Rs.4600 on date 17.09.2014

	GL	OBC	SC	ST	TOTAL
ONROLL	33	3	36	12	10	58
%AGE	56.90	5.17	62.07	20.69	17.24	100.00
PROVISION AS PER CONSTITUTION OF INDIA						
%AGE	50.50	27.00	77.50	15.00	7.50	100.00
SHUOLD BE	29.29	15.66	44.95	8.70	4.35	58.00
ROUND OFF	29	16	45	9	4	58

Actual working cadre Rs.4600 on date 31.07.2014

	GL	OBC	GL+OBC	SC	ST	TOTAL
ONROLL	31	1	32	6	4	42
%AGE	73.81	2.38	76	14.29	9.52	100.00
PROVISION AS PER CONSTITUTION OF INDIA						
%AGE	50.50	27.00	78	15.00	7.50	100.00
SHUOLD BE	21.21	11.34	33	6.30	3.15	42.00
ROUND OFF	21	12	33	6	3	42

अजीवन सदस्यता 3000 रु., संरक्षक सदस्यता 5000 रु., कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 093706 15244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.